



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 15]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 9, 2014/पौष 19, 1935

No. 15]

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 9, 2014/PAUSHA 19, 1935

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 9 जनवरी, 2014

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड

(प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014

स० एल. ए. डी. एन. आर. ओ./जी.एन./2013-14/37/50.—भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 30, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 31 और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 25 के साथ पठित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15अख, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 23अक और निक्षेपागार अधिनियम, 1996 की धारा 19अक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निपटारे के निबन्धनों तथा निपटारे की प्रक्रिया और उनसे तत्सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों का उपबन्ध करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

अध्याय - I

प्रारम्भिक

सक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

- (1) इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 कहा जा सकेगा।
- (2) वे 20 अप्रैल, 2007 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे।

परिभाषाएँ

2. (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, इसमें परिभाषित शब्दों के वही अर्थ होंगे जो नीचे उनके लिए नियत हैं, और उनके सजातीय शब्दों का अर्थ तदनुसार लगाया जाएगा,—

- (क) "अधिनियम" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) अभिप्रेत है ;
- (ख) "अभिकथित चूक (व्यतिक्रम)" से प्रतिभूति विधियों के किसी उपबन्ध का अभिकथित या अधिसूचित अननुपालन अभिप्रेत है ;
- (ग) "बोर्ड" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 3 के उपबन्धों के अधीन स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अभिप्रेत है ;
- (घ) "पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल" से बोर्ड के दो या दो से अधिक पूर्णकालिक सदस्यों से गठित पैनल अभिप्रेत है ;
- (ङ) "प्रतिभूति विधियाँ" से अधिनियम, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 (1956 का 42), निक्षेपगार अधिनियम, 1996 (1996 का 22), और उनके अधीन बनाये गये नियम तथा विनियम अभिप्रेत हैं;
- (च) "विनिर्दिष्ट कार्यवाहियाँ" से वे कार्यवाहियाँ अभिप्रेत हैं जो, यथास्थिति, अधिनियम की धारा 11, धारा 11ख, धारा 11घ, धारा 12 की उप-धारा (3) या धारा 15झ अथवा प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 की धारा 12क या धारा 23झ अथवा निक्षेपगार अधिनियम, 1996 की धारा 19 या 19ज के अधीन आरम्भ की गयी हैं या आरम्भ की जा सकेंगी;
- (छ) "विनिर्दिष्ट" से बोर्ड द्वारा परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों (गाइडलाइन्स) के माध्यम से विनिर्दिष्ट अभिप्रेत है;
- (ज) "न्यायाधिकरण" से भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 15ट के अधीन स्थापित प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण (प्रतिभूति अपील अधिकरण) अभिप्रेत है ।

(2) इन विनियमों में उपयोग किए गए तथा अपरिभाषित किन्तु अधिनियम, कानूनी अधिनियम, 1956, प्रतिभूति संहिता (विनियमन) अधिनियम, 1956 और निक्षेपगार अधिनियम, 1996 अथवा उनके अधीन बनाए गए किन्हीं विनियमों या विनियमों में परिभाषित शब्दों और शब्दों के वही अर्थ होंगे जो उन अधिनियमों, उनके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों अथवा उनके किसी कानूनी उपोद्धार या पुनःअधिनियमिति में क्रमशः उनके लिए नियत हों ।

अध्याय-II

निपटारे के लिए आवेदन

आवेदन

3. (1) जिस व्यक्ति के खिलाफ कोई विनिर्दिष्ट कार्यवाहियाँ आरम्भ की गयी हैं या आरम्भ की जा सकेंगी, वह व्यक्ति अनुसूची-I के भाग-क में विनिर्दिष्ट प्ररूप में बोर्ड को आवेदन कर सकेगा :

परन्तु यह कि कोई व्यक्ति, जो न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष प्रतिभूति विधियों के अधीन चूकों (व्यतिक्रमों) की बाबत लखित किन्हीं कार्यवाहियों, जिनमें बोर्ड निष्कार है, के निपटान का प्रस्ताव करता है, अनुसूची-I के भाग-क में यथा विनिर्दिष्ट प्ररूप में निपटारे का प्रस्ताव भी दाखिल कर सकेगा ।

(2) उप-विनियम (1) के अधीन किये गये आवेदन के साथ अनुसूची-I के भाग-ख में यथा विनिर्दिष्ट अप्रतिदेय आवेदन फीस तथा भाग-ग में यथा विनिर्दिष्ट वचन और अधित्यजन सलग्न होंगे :

परन्तु यह कि आवेदन की नामजुरी वचनों और अधित्यजनों की सतत विधिमान्यता को प्रभावित नहीं करेगी तथा बोर्ड या आवेदक, वचनों और अधित्यजनों के अध्यक्षीन, विधिक आश्रय, जो विधि के अधीन उपलब्ध हो, लेने के लिए स्वतन्त्र होंगे ।

(3) आवेदक अभिकथित चूक (चूकों) की बाबत आवेदन में पूर्ण और सही प्रकटीकरण करेगा :

परन्तु यह कि, किसी विधि के अधीन, उसी वाद हेतुक की बाबत चल रही या समाप्त किन्हीं कार्यवाहियों में आवेदक के खिलाफ सिद्ध या उसके द्वारा स्वीकृत तथ्यों के बारे में यह समझा जायेगा कि वे निपटारे किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों की बाबत आवेदक द्वारा स्वीकार किये गये हैं ।

(4) आवेदक उन सभी कार्यवाहियों के निपटारे के लिए एक आवेदन करेगा जो उसी वाद हेतुक की बाबत आरम्भ की गयी हैं या आरम्भ की जा सकेंगी :

परन्तु यह कि आवेदक, जिसने विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों से सम्बन्धित उसी वाद हेतुक के लिए न्यायालय के समक्ष अपराध का शमन करने के लिए आवेदन किया है, आवेदन किये जाने की तारीख से तीस दिनों के भीतर, विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों की बाबत उप-विनियम (1) के अधीन आवेदन करेगा।

(5) आवेदन जो सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है या इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं है, लौटा दिया जायेगा ।

(6) आवेदक जिसका आवेदन उप-विनियम (5) के अधीन लौटाया गया है, नामजूर किये जाने की सूचना की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर, सम्बन्धित आवेदन प्रस्तुत कर सकेगा जो इन विनियमों की अपेक्षाओं के अनुरूप हो :

परन्तु यह कि आवेदक को अभिकथित चूक की बाबत आवेदन करने का कोई अतिरिक्त अवसर नहीं दिया जायेगा ।

(7) जहाँ आवेदक सशम या फर्म या निगमित निकाय है, तो वहाँ आवेदन तथा वचन और अधित्यजन ऐसी फर्म या सशम, या निगमित निकाय के कारबार सञ्चालन के प्रभारी और के लिए जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा निष्पादित किये जायेंगे और वह फर्म या सशम, निगमित निकाय और किसी अधिकारी, जो व्यतिक्रमी (चूककर्ता) है, पर आबद्धकर होंगे ।

स्पष्टीकरण – इस उप-विनियम के प्रयोजनार्थ, 'अधिकारी जो व्यतिक्रमी है' का वही अर्थ है जैसा कानूनी अधिनियम, 2013 की धारा 2 की उप-धारा (60) में उपबध्ति है ।

(8) प्रकटीकरणों से सम्बन्धित चूकों के निपटारे के लिए आवेदन अपेक्षित प्रकटीकरण करने के पश्चात् किया जाएगा ।

परिसीमा

4. (1) बोर्ड के पास लब्धित किन्हीं विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों की बाबत किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा यदि यह कारण बताओ सूचना या कारण बताओ सञ्ज्ञी अनुपूरक सूचना, जिसकी भी तामील बाद में की जाती हो, की तामील किये जाने की तारीख से साठ दिनों के पश्चात् किया जाता है ।

(2) उ०-विनियम (1) में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल विलम्ब के लिए माफी दे सकेगा, यदि इसका यह समाधान हो जाता है कि उ०-विनियम (1) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आवेदन दाखिल न किये जाने का पर्याप्त कारण था ।

(3) इस विनियम के उ०ब० न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लक्षित कार्यवाहियों के मामले में लागू नहीं होंगे ।

अध्याय - III

नि०टारे की परिधि

नि०टारे की कार्यवाहियों की परिधि

5. (1) किन्हीं विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के नि०टारे के लिए किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा, यदि :

(क) अभिकथित चूक नि०टारे के अंतिम आदेश, जहाँ आवेदक परीक्षकार था, की तारीख से चौबीस कलेंडर मास की अवधि के भीतर की गयी थी ;

(ख) उसी अभिकथित चूक के संबंध में पहले किया गया आवेदन नामज़ूर कर दिया गया था;

(ग) आवेदक, आवेदन की तारीख से पूर्व, छत्तीस कलेंडर मास की अवधि के दौरान नि०टारे के दो आदेशों में परीक्षकार रहा हो;

(घ) किसी अभिकथित चूक की बाबत लेखापरीक्षा या अन्वेषण या निरीक्षण, यदि कोई हो, पूरा न हुआ हो ।

(2) विनिर्दिष्ट कार्यवाही, का नि०टारा नहीं किया जायेगा, यदि इसमें निम्नलिखित चूकों में से कोई चूक अंतर्बलित हो, अर्थात्-

(क) चूकें जिनमें अंतर्बलित है - अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उ०ब० के उल्लंघन में अंतरा व्यापार और अप्रकाशित कीमत संचेदनशील जानकारी को सञ्चित करना;

(ख) क०ट०पूर्ण और अ०जु व्यापारिक व्यवहार जिनमें फ्रट रनिश सम्मिलित है, जो बोर्ड की राय में गंभीर हैं और जिनका बाजार पर व्यापक प्रभाव हो अथवा जिनसे प्रतिभूतियों के विनिधानकर्ताओं (निवेशकों), विशेषकर छोटे विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) और छोटे शेयरधारकों, को पर्याप्त हानियाँ हुई हों या जो उनके अधिकारों को प्रभावित करते हों :

परन्तु यह कि जहाँ आवेदक ने विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को हुई हानियों की पूर्ति की हो या पूर्ति करने का इरादा रखता हो, तो वहाँ उसके आवेदन पर विचार किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण- इस खंड के प्रयोजनार्थ, शब्द 'फ्रट-रनिश' से अभिप्रेत है - असार्वजनिक जानकारी का उ०योग प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, प्रतिभूतियों का क्रय या विक्रय करने अथवा ऑप्शन या फ्यूचर्स संधिदाएँ (कॉन्ट्रैक्ट) करने के लिए, बड़े आर्डर से पहले, किसी आसन्न संचयवहार पर, उन्हीं या संबंधित प्रतिभूतियों अथवा फ्यूचर्स या ऑप्शन संधिदाओं में, इस पूर्वानुमान से कि सूचना के सार्वजनिक हो जाने पर; ऐसी प्रतिभूतियों या संधिदाओं की कीमत में परिवर्तन हो सकता है;

- (ग) अधिनियम और उसके अधीन बनाये गये विनियमों के उद्देश्यों के अनुसार खुला प्रस्ताव लाने में असफल रहना, उन मामलों को छोड़कर जहाँ आवेदक खुला प्रस्ताव लाने के लिए सहमत होता हो या जहाँ बोर्ड की यह राय हो कि खुला प्रस्ताव लाना शेयरधारकों के लिए हितप्रद नहीं होगा या जो निरर्थक है ;
- (घ) वार्षिक निधियों, आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधियों, सामूहिक विनिधान (निवेश) स्कीमों तथा उनके प्रायोजकों या आस्ति प्रबंधकानियों, सामूहिक विनिधान (निवेश) प्रबंधकानी, प्रबंधकों, न्यासियों द्वारा चूकें या छलसाधक व्यवहार जिनके परिणामस्वरूप विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को हानि होती हो, उन मामलों को छोड़कर जहाँ आवेदक ने विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को हानियों के लिए मुआवजा दे दिया हो, बोर्ड के समाधानप्रद रूप में ;
- (ङ) बोर्ड के समाधानप्रद रूप में विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करने में असफलता, उन मामलों को छोड़कर जहाँ अभिकथित चूक देरी से दूर किये जाने के संभव में हो;
- (च) प्रतिभूतियों के निर्गमकर्ताओं या एटिटियों, जो विनिधान (निवेश) को आमन्त्रित करती हों, द्वारा, प्रस्ताव दस्तावेजों में बोर्ड द्वारा बनाये गये सुसंज्ञित विनियमों के अधीन यथा अपेक्षित तात्त्विक प्रकटीकरण करने में असफलता ;
- (छ) प्रतिभूतियों के निर्गमन या निधियों की वृद्धि (एकत्रीकरण) द्वारा धनराशि जुटाना, प्रतिभूति विधियों का अतिक्रमण करते हुए, जहाँ उद्देश्य ऐसी धनराशियों का प्रतिदाय (रिफ़्ट) हो ;
- (ज) बोर्ड द्वारा जारी सूचनाओं और समनों या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा जारी समनों का अननुपालन ;
- (झ) प्रतिभूति विधियों के अधीन वारित किसी आदेश या निदेश का अननुपालन ।

(3) इस विनियम में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, जहाँ आवेदक अपने आवेदन में पर्याप्त आधार देता है, तो वहाँ उद्देश्य-विनियम (2) में निर्दिष्ट चूकों की बाबत कार्यवाहियों के निमित्त पर विचार विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में और प्रतिभूति बाजार के विकास तथा विनियमन के दृष्टिगत किया जा सकेगा :

परन्तु यह कि ऐसी कार्यवाहियों के निमित्त के लिए कारणों को लिखित में लेखबद्ध किया जायेगा ।

(4) इन विनियमों में दी हुई किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल को विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों, जिनमें उद्देश्य-विनियम (2) के खण्ड (क), (छ), (ज) और (झ) में निर्दिष्ट चूकें अन्तर्बलित हैं, की बाबत किसी आवेदन को, आस्रिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा इजाजत किये बिना ही, नामज़ूर किये जाने से रोकती है ।

आवेदन का वापस लिया जाना

6. (1) आवेदन विनियम 14 के अधीन पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के विनिश्चय की सञ्चयना से पूर्व किसी भी समय वापस लिया जा सकेगा ।

(2) आवेदक जो उद्देश्य-विनियम (1) के अधीन आवेदन को वापस लेता है उसी चूक की बाबत दूसरा आवेदन करने के लिए अनुज्ञात नहीं होगा ।

विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों पर लब्धित आवेदन का प्रभाव

7. (1) किन्हीं विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के निपटारे के लिए आवेदन दाखिल करने से कार्यवाहियों का जारी रहना प्रभावित नहीं होगा, सिवाय इसके कि अन्तिम आदेश को पारित करना तब तक आस्थगित रखा जायेगा जब तक आवेदन निपटा नहीं दिया जाता।

(2) जहाँ आवेदन उन कार्यवाहियों के मामले में दाखिल किया जाता है जो आवेदक के खिलाफ आरम्भ की जा सकेंगी, तो वहाँ ऐसी कार्यवाहियाँ तब तक आरम्भ नहीं की जायेंगी जब तक आवेदन नामज़ूर नहीं कर दिया जाता या वापस नहीं ले लिया जाता।

अध्याय-IV

निपटारे के निबन्धन

निपटारे के निबन्धन

8. (1) निपटारे के निबन्धनों में, अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, निपटारे की रकम और/या गैर-आर्थिक निबन्धन सम्मिलित हो सकेंगे।

(2) गैर-आर्थिक निबन्धनों में समुचित निदेश सम्मिलित हो सकेंगे, यथा:

- (क) विनिर्दिष्ट अवधि तक रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का स्वैच्छिक निलम्बन या कारबार बन्द करना;
- (ख) प्रबन्धमण्डल से हटाना;
- (ग) प्रत्यापन के स्वरूप का निदेश देना, जहाँ उन विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को पहचानना संभव हो जिन्हें आवेदक की सक्रियता या निष्क्रियता के कारण हानियाँ हुई हों;
- (घ) कतिपय व्यष्टियों को, मध्यवर्ती के भागीदार या अधिकारी या निदेशक के रूप में अथवा जिस कानूनी में उस वर्ग की प्रतिभूतियाँ हों जो बोर्ड द्वारा विनियमित हों, उस कानूनी के अधिकारी या निदेशक के रूप में, विनिर्दिष्ट अवधियों तक, कार्य करने से विवर्जित करना;
- (ङ) प्रतिभूतियों का रद्दकरण और शेयरधारिता को कम करना, जहाँ प्रतिभूतियाँ कटपूर्ण रूप से निर्गमित की जाती हैं, जिसमें ऐसी प्रतिभूतियाँ पर प्राप्त बोनस शेयरों, यदि कोई हों, का रद्दकरण सम्मिलित है, और किन्हीं प्राप्त लाभांशों की प्रतिपूर्ति, आदि;
- (च) प्रतिभूतियों की स्वैच्छिक अवरुद्धता (लॉक-इन);
- (छ) प्रतिभूति विधियों के भावी अतिक्रमणों को रोकने के लिए उन्नत नीतियाँ तथा प्रक्रियाओं को कार्यान्वित करना और साथ ही नीतियाँ तथा प्रक्रियाओं की समीक्षा करने के लिए स्वतन्त्र परामर्शदाता को नियुक्त या प्रतिधारित करने का निदेश देना;
- (ज) मध्यवर्तियों के कर्मचारियों को उन्नत प्रशिक्षण और शिक्षण प्रदान करने के निदेश देना;
- (झ) आन्तरिक लेखापरीक्षा और रिपोर्टिंग अपेक्षाओं के सम्बन्ध में निदेश देना;
- (ञ) कोई अन्य निदेश देना जो बोर्ड द्वारा प्रतिभूति विधियों के अधीन विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के हित में जारी किये जायें।

(3) निपटारे की रकम, विधिक खर्चों और प्रत्यापन की रकम को छोड़कर, भारत की संचित निधि में जमा की जायेगी।

(4) निपटारे की रकम के भागस्वरूप विधिक खर्च, यदि कोई हों, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की साधारण निधि में जमा किये जायेंगे।

(5) आवेदक द्वारा अनुचित तरीके से कमाये गये मुनाफों (लाभों) या टाली गयी हानियों, जो निपटारे के निबन्धनों के भागस्वरूप प्रत्यर्पित की जा सकेंगी, की रकमों बोर्ड की विनिधानकर्ता (निवेशक) सङ्क्षण और शिक्षण निधि में जमा की जायेंगी ।

विचार किये जाने वाले कारक-निपटारे के निबन्धनों का निर्धारण करने के लिए

9. निपटारे के निबन्धनों का निर्धारण करते समय, बोर्ड ऐसे कारकों पर भी विचार करेगा जिनमें निम्नलिखित कारक सम्मिलित हैं किन्तु जो निम्नलिखित कारकों तक ही सीमित नहीं हैं:

- (क) अन्वेषण में आवेदक का आचरण;
- (ख) आवेदक द्वारा निभायी गयी भूमिका यदि अभिकथित चूक व्यक्तियों के समूह द्वारा की गयी हो;
- (ग) अभिकथित चूकों की प्रकृति, गंभीरता और समाघात;
- (घ) क्या प्रतिभूति विधियों के अननुपालन के लिए आवेदक के खिलाफ कोई अन्य कार्यवाही लक्षित है या समाप्त हो गयी है;
- (ङ) क्या अभिकथित चूक का स्वरूप गौण है या मुख्य है;
- (च) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को हुई अहानि और/या हानि और/या आवेदक द्वारा अभिलाभ का परिमाण और की रकम ;
- (छ) अभिकथित चूक के बाद से लायी गयी प्रक्रियाएँ, ताकि भावी चूकों या गलतियों को कम किया जा सके;
- (ज) आवेदक द्वारा प्रस्तावित अनुपालन अनुसूची;
- (झ) अननुपालन या विलक्षित अनुपालन से किसी व्यक्ति को प्रोद्भूत आर्थिक लाभ;
- (ञ) शर्तें, जो उसी या अन्य व्यक्ति द्वारा भावी अननुपालन के सङ्घर्ष में भयकारी प्रभाव पैदा करने के लिए आवश्यक हों;
- (ट) विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को देय धनराशि के भुगतान या उन्हें प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी (डिलीवरी) से सङ्घटित विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) के दावे की तृष्टि;
- (ठ) क्या आवेदक उसी अतिक्रमण के लिए कोई अन्य प्रवर्तन कार्यवाई भुगत चुका है;
- (ड) कोई अन्य कारक, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में आवश्यक हों ।

अध्याय-V

समितियाँ

उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति

10. (1) बोर्ड निपटारे के निबन्धनों पर विचार करने और उनकी सिफारिश करने के लिए उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का गठन करेगा ।

(2) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश और प्रतिभूति बाजार में अथवा उनसे तत्सम्बद्ध या उनसे आनुषंगिक विषयों में विशेषज्ञता रखने वाले तीन बाहरी विशेषज्ञों से गठित होगी ।

(3) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति का कोरम तीन सदस्यों का होगा ।

(4) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के सदस्यों की ंदावधि तीन वर्षों की होगी जो दो वर्षों की अतिरिक्त अवधि तक बढ़ायी जा सकेगी ।

(5) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति अणी बैठकों का सञ्चालन बोर्ड द्वारा इस सञ्चालन में विनिर्दिष्ट रीति से करेगी ।

आन्तरिक समिति (समितियाँ)

11. आन्तरिक समिति (समितियाँ) में बोर्ड का अधिकारी, जो मुख्य महाप्रबन्धक की श्रेणी (के रैंक) से नीचे की श्रेणी का न हो, और ऐसे अन्य अधिकारी समाविष्ट होंगे जैसा बोर्ड द्वारा विनिश्चय किया जाए ।

अध्याय - VI

निण्टारे की प्रक्रिया

आन्तरिक समिति के समक्ष कार्यवाहियाँ

12. (1) इन विनियमों में जैसा अन्यथा उबधित है उसके सिवाय, आवेदन आन्तरिक समिति को निर्देशित किया जायेगा जो यह ंडताल करेगी कि क्या कार्यवाहियों का निण्टारा किया जा सकता है और यदि ऐसा हो तो वह इन विनियमों के अनुसार निण्टारे के निबन्धन अवधारित करेगी ।

(2) आन्तरिक समिति :

- (क) अभिकथित चूक (चूकों) से सञ्चयित सुसञ्चत जानकारी, दस्तावेज आदि, जो आवेदक की अभिरक्षा में हों, मञ्णा सकेगी;
- (ख) यह माञ्ण कर सकेगी कि आवेदक उसके समक्ष स्वयण्हाजिर हो :
परञ्चु यह कि आवेदक का सम्यक रू से प्राधिकृत प्रतिनिधि आवेदक की ओर से प्रतिनिधित्व कर सकेगा;
- (ग) आवेदक को आन्तरिक समिति की बैठक की तारीख से दस कार्य-दिवसों से अनधिक अवधि के भीतर निण्टारे के निबन्धनों में सञ्शोधन करने की अनुञ्जा दे सकेगी ।

(3) निण्टारे के प्रस्तावित निबन्धन, यदि कोई हों, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष रखे जायेंगे ।

उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के समक्ष कार्यवाहियाँ

13. (1) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति इसके समक्ष रखे गये निण्टारे के प्रस्तावित निबन्धनों के साथ-साथ :

- (क) आवेदक के आवेदन, वचन और अधित्यजनों;
- (ख) विनियम 9 में विनिर्दिष्ट कारकों;
- (ग) आवेदक द्वारा प्रस्तावित निण्टारे के निबन्धनों या निण्टारे के सञ्शोधित निबन्धनों;
- (घ) रिकॉर्ड में उलब्ध किसी अन्य सुसञ्चत सामग्री ंर विचार करेगी ।

(2) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति आवेदक से यह अपेक्षा कर सकेगी कि वह निपटारे के निबन्धनों को सशोधित करे और आवेदन वापस आन्तरिक समिति को निर्देशित कर सकेगी ।

(3) उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों को पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के समक्ष विचार करने के लिए रखा जायेगा ।

उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश पर कार्यवाई

14. (1) दो पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों पर विचार करेगा और उन्हें स्वीकार या नामज़ूर कर सकेगा ।

(2) जहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिश को स्वीकार करता है, तो वहाँ आवेदक को पैनल के विनिश्चय के 7 दिनों के भीतर उसके बारे में सञ्चित किया जायेगा ।

(3) जहाँ पैनल ने निपटारे के आदेश को पारित किये जाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया हो, तो वहाँ आवेदक, आवेदक को दिये गये समय के भीतर, निपटारे के निबन्धनों के अनुसार निपटारे की रकम विप्रेषित करेगा और / या निपटारे के अन्य निबन्धनों, यदि कोई हों, का पालन किये जाने का वचन लिखित रूप में देगा ।

(4) जहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश किये गये निपटारे के निबन्धनों पर विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों का निपटारा किये जाने की उसकी सिफारिश को स्वीकार नहीं करता है, तो वहाँ पैनल निपटारे के निबन्धनों के पुनः परीक्षण के लिए आवेदन आन्तरिक समिति को लौटा सकेगा और तत्पश्चात् मूल आवेदन के मामले में यथा लागू प्रक्रिया का अनुसरण आन्तरिक समिति और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा किया जायेगा ।

(5) जहाँ पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों का निपटारा किये जाने की सिफारिश से असहमत होता है, तो वहाँ ऐसा विनिश्चय आवेदक को सञ्चित किया जायेगा ।

अध्याय - VII

निपटारे के आदेश

न्यायनिर्णायक अधिकारी और बोर्ड के समक्ष कार्यवाहियों का निपटारा

15. (1) न्यायनिर्णायक अधिकारी अभिकथित चूक (चूकों) की बाबत उसके समक्ष लब्धित कार्यवाहियों के सञ्चय में निपटारे का आदेश पारित करेगा ।

(2) पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट कार्यवाहियों से भिन्न, अभिकथित चूक (चूकों) के लिए आरम्भ की गयी या आरम्भ किये जाने के लिए प्रस्तावित कार्यवाहियों की बाबत निपटारे का आदेश पारित करेगा ।

(3) इन विनियमों के अधीन पारित निपटारे के आदेश में, *अन्य बातों के साथ-साथ*, अभिकथित चूक (चूकों) के ब्यौरे, प्रतिभूति विधियों के सुसज्जत उद्बन्ध, अभिकथित चूक से सुसज्जत तथ्य एवं परिस्थितियाँ, आवेदक द्वारा की गई स्वीकृतियाँ यदि कोई हों और निपटारे के निबन्धन अन्तर्विष्ट होंगे ।

न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लब्धित कार्यवाहियों का निपटारा

16. (1) इन विनियमों में जैसा अन्यथा उद्दिष्ट है उसके सिवाय, विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के निपटारे संबंधी उद्दिष्ट *यथावश्यक परिवर्तन सहित* न्यायाधिकरण या किसी न्यायालय के समक्ष लब्धित किसी कार्यवाही के निपटारे के आवेदन पर लागू होंगे ।

(2) निपटारे के निबन्धनों सहित निपटारे का प्रस्ताव या उसकी नामजारी को समुचित आदेशों के लिए ऐसे न्यायाधिकरण या न्यायालय के समक्ष रखा जायेगा ।

निपटारे के आदेश की तामील और प्रकाशन

17. निपटारे के आदेशों की तामील आवेदक को की जायेगी और जिन्हें बोर्ड के वेबसाइट पर प्रकाशित भी किया जायेगा ।

परव्यक्ति अधिकारों पर निपटारे के आदेश का प्रभाव

18. इन विनियमों के अधीन निपटारे का आदेश अभिकथित चूक से उद्भूत होने वाले परव्यक्तियों के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगा ।

निपटारे के आदेश का अननुपालन

19. यदि आवेदक निपटारे के आदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है या निपटारे का आदेश परित होने के पश्चात् किसी भी समय, बोर्ड की जानकारी में यह बात आती है कि आवेदक ने पूर्ण और सही प्रकटीकरण नहीं किया है अथवा वचनों या अधित्यजनों का अतिक्रमण किया है, तो निपटारे का आदेश प्रतिसिद्ध तथा प्रत्याहृत हो जायेगा और बोर्ड उन कार्यवाहियों को प्रत्यावर्तित या आरक्ष करेगा, जिनकी बाबत निपटारे का आदेश परित किया गया था ।

कतिपय सञ्ज्ञाव्यताओं में नामजारी

20. (1) बोर्ड आवेदन पर विचार किये जाने के दौरान किसी भी समय, निम्नलिखित आधारों पर आवेदन को नामजार कर सकेगा :

- (क) जहाँ आवेदक बोर्ड द्वारा भेजी गयी सञ्ज्ञाव्यताओं को प्राप्त करने या के प्रति उत्तर देने से इच्छा कर देता है;
- (ख) जहाँ आवेदक बोर्ड द्वारा अपेक्षित जानकारी, दस्तावेज, आदि प्रस्तुत नहीं करता है या प्रस्तुत करने में विलम्ब करता है;
- (ग) जहाँ आवेदक जिससे हाजिर होना अपेक्षित है, किन्तु वह एक से अधिक अवसरों पर आस्रिक समिति के समक्ष हाजिर नहीं होता है;
- (घ) जहाँ आवेदक अनुसूची-I के भाग-ग में यथा विनिर्दिष्ट वचन और अधित्यजनों का किसी भी प्रकार से अतिक्रमण करता है;
- (ङ) जहाँ आवेदक निपटारे की रकम विप्रेषित नहीं करता या निपटारे की रकम के भुगतान में विलम्ब करता है और/या वचनों और अधित्यजनों का पालन नहीं करता है ।

(2) उद्दिष्ट-विनियम (1) के अधीन नामजारी आवेदक को सञ्चित की जायेगी ।

अध्याय-VIII**विविध****जानकारी की गोपनीयता, आदि**

21. (1) इन विनियमों के अधीन निपटारे की कार्यवाहियों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी समस्त जानकारी और की गयी चर्चाओं के बारे में यह समझा जाएगा कि वे वैश्वासिक हैसियत में प्राप्त की गयी हैं या की गयी हैं, और जो सार्वजनिक नहीं की जायेगी, यदि इससे बोर्ड और/या आवेदक पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो ।

(2) जहाँ आवेदन नामज़ूर किया जाता है, तो वहाँ आवेदक और बोर्ड इन विनियमों के अधीन आवेदक द्वारा किये गये किन्हीं प्रस्तावों या प्रस्तुत की गयी जानकारी या किये गये प्रतिनिधित्व पर, किसी न्यायालय या न्यायाधिकरण के समक्ष, निर्भर नहीं रहेंगे अथवा उन्हें साक्ष्य के रूप में नहीं लायेंगे :

परन्तु यह कि यह उप-विनियम वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ निपटारे का आदेश इन विनियमों के अधीन प्रतिसिद्ध और प्रत्याहृत हो गया हो ।

कठिनाइयों को दूर करने की शक्ति

22. इन विनियमों के उपबन्धों के निर्वचन या लागू होने में किसी कठिनाई को दूर करने के लिए, बोर्ड के पास परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के जरिये स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति होगी ।

प्रक्रियाएँ विनिर्दिष्ट करने की शक्ति

23. इन विनियमों के कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ, बोर्ड परिपत्रों या मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में, मानदंड या प्रक्रियाएँ विनिर्दिष्ट कर सकेगा ।

विखट्टन और व्यावृत्तियाँ

24. (1) इन विनियमों के प्रारम्भ से ही, बोर्ड द्वारा जारी निम्नलिखित परिपत्र विखट्टित हो जायेंगे :

- (क) बोर्ड का तारीख 20 अप्रैल, 2007 का परिपत्र सदस्य संप ईएफडी/ईडी/सीआईआर-1/2007; और
- (ख) बोर्ड का तारीख 25 मई, 2012 का परिपत्र सदस्य संप सीआईआर/ईएफडी/1/2012 ।

(2) कोई ऐसा विखट्टन होने पर भी :

- (क) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट परिपत्रों के अधीन दाखिल किये गये और बोर्ड के पास लब्धित आवेदनों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के अनुसार दाखिल किये गये हैं और जिन पर इन विनियमों के उपबन्धों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी ।
- (ख) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट परिपत्रों के अधीन पारित निपटारे के आदेशों के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के अधीन पारित किये गये हैं ।
- (ग) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट परिपत्रों के अनुसार आन्तरिक समितियों के प्रस्तावों तथा उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति की सिफारिशों और इन सिफारिशों के आधार पर बोर्ड द्वारा की गयी किसी कार्रवाई के बारे में यह समझा जाएगा कि वे इन विनियमों के अधीन की गयी हैं ।

- (घ) उप-विनियम (1) में निर्दिष्ट परिणतों के अनुसार बोर्ड द्वारा गठित आन्तरिक समिति (समितियाँ) और उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति, ऐसे समय तक कार्य करना जारी रखेगी जब तक बोर्ड उनका पुनर्गठन नहीं कर देता ।

अनुसूची - I

(विनियम 3 देखें)

भाग-क

प्ररूप

निपटारे के लिए आवेदन

(केवल कार्यालय के उपयोग के लिए)

आवेदन की प्राप्ति की तारीख :

आवेदन रजिस्ट्रीकरण सङ्ख्या :

(अनुदेश: सभी विवरण अवश्य भरे जायें । जहाँ कहीं आवश्यक हो, वहाँ 'उपलब्ध नहीं' लिखें ।)

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के समक्ष

..... के मामले में

1. आवेदक का नाम / व्यापार नाम :

(क) रजिस्ट्रीकरण सङ् यदि लागू हो :

(ख) रजिस्ट्रीकरण की तारीख, यदि लागू हो :

(ग) पैन सङ्ख्या :

(घ) आवेदक की समादत्त पूँजी (पेड-अप कैपिटल) :

2. यदि स्टॉक दलाल है, तो स्टॉक एक्सचेंज का नाम :

3. यदि उप-दलाल है, तो उस स्टॉक दलाल का नाम जिसके साथ सहबद्ध हो और स्टॉक एक्सचेंज का नाम :

4. खड्ड (सेगमेंट) का नाम (नकदी/व्युत्पन्नी, आदि):

5. सङ्गठन का रूप : निगमित निकाय/एकल स्वत्वधारी/भागीदारी/एलएलपी/वित्तीय सङ्स्था (यदि सूचीबद्ध कानूनी हो, तो सूचीबद्धता के ब्यौरे) :

6. सङ्घर्षकर्त/निदेशकर्त/स्वत्वधारियों/भागीदारों के नाम :

7. मुख्य प्रबन्ध कार्मिक :

8. षता/षत्राचार का षता, सङ्घर्ष सङ्घर्ष/फैक्स सङ्घ तथा ई-मेल (उपरोक्त ब्यौरों में किन्हीं षरिवर्तनों की सङ्गचना बोर्ड को तत्परा से दी जायेगी) :

9. सङ्घर्ष व्यक्ति (व्यक्तियों) का (के) नाम तथा उसके (उनके) सङ्घर्ष सङ्घर्षी विवरण (ई-मेल सहित) :

10. बोर्ड से अन्य रजिस्ट्रीकरण, यदि लागू हो (हों) :

(क) व्यापार नाम :

(ख) रजिस्ट्रीकरण का प्रकार:

(ग) रजिस्ट्रीकरण सः

11. बोर्ड/प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट)/न्यायालय के पास लब्धित मामला (मामले) (कृया विनिर्दिष्ट करें) :

12. 11ख (11बी)/न्यायनिर्णयन/जाँच/अन्यों के अधीन लब्धित मामला (मामले) (कृया विनिर्दिष्ट करें) :

13. किस अवस्था पर लब्धित है (हैं) :

14. लब्धित कार्यवाहियों में अन्तरिम आदेश (परित आदेशों का सार), यदि कोई हो :

15. बोर्ड के पास लब्धित/बोर्ड द्वारा समाप्त की गयी अन्य कार्यवाइयाँ, यदि कोई हों

(उनके ब्यौरों सहित) :

(क) आवेदक के खिलाफ :

(ख) सहयुक्तों के खिलाफ :

(ग) उसके मुख्य प्रबन्ध कार्मिक (कार्मिकों) के खिलाफ :

(घ) उसके अन्य संप्रवर्तकों/निदेशकों के खिलाफ :

(ङ) अन्य ब्यौरे, यदि कोई हों :

16. उस कारण बताओ सूचना/समनों/संज्ञचना की तारीख जिसमें अधिसंख्याव्य वाद हेतुक, यदि कोई हो, दर्शाया गया हो, जिसके प्रति निपटारे की माँग की गयी है (कृया प्रतियाँ संलग्न करें) * :

17. तथ्यों का पूर्ण और सही प्रकटीकरण (जिनमें सम्मिलित हैं—वाद हेतुक की बाबत कमाया गया मुनाफा, टाली गयी हानि, सकल फीस, दलाली, कमीशन आदि):

18. अभिकथित विनिर्दिष्ट आरोप :

19. आवेदक द्वारा प्रस्तावित निपटारे के निबन्धन :—

(क) आर्थिक निबन्धन : —

(ख) गैर-आर्थिक निबन्धन : —

20. संलग्न किये जाने वाले मूल दस्तावेज :

(क) वचन और अधित्यजन (भाग-ग में विनिर्दिष्ट फार्मेट के अनुसार) ।

(ख) प्राधिकार पत्र/बोर्ड का संकल्प ।

21. अन्य संलग्नकों की सूची :

(क) उस कारण बताओ सूचना/समनों/संज्ञचना/अन्य सूचनाओं की प्रति जिसमें अधिसंख्याव्य वाद हेतुक दर्शाया गया हो, यदि कोई हो, जिसके प्रति निपटारे की माँग की गयी है;

(ख) अन्तिम तीन वित्तीय वर्षों की पूर्ण वार्षिक रिपोर्ट/अन्य सुसज्जित वित्तीय विवरण तथा चालू वर्ष के लेखारीक्षित तिमाही वित्तीय परिणाम;

(ग) विवरण जिसमें आवेदक की शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) (केवल उन आवेदकों के लिए जिनसे यह अपेक्षित है कि वे बोर्ड द्वारा या स्टॉक एक्सचेंजों द्वारा यथा विनिर्दिष्ट शुद्ध-मालियत सख्खी अपेक्षाओं का अनुपालन करें), कर से पूर्व सकल वार्षिक आय, कमाये गये मुनाफे/टाली गयी हानि की सकल रकम को दर्शाया गया है, जिसमें सम्मिलित है उक्त चूक (व्यतिक्रम) की बाबत सकल दलाली, फीस, प्रबन्धन/कार्यनिष्पादन/सह्यवहार फीस, आगे ले जाया गया ब्याज, प्रतिकर, आदि;

(घ) पैन कार्ड की प्रति;

(ङ) अन्तिम तीन वित्तीय वर्षों हेतु आवेदक की पूर्ण आय-कर विवरणियाँ ;

(च) कोई अन्य सुसज्जित दस्तावेज/निवेदन ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

(स्टाम्प और मुद्रा)

सत्यापन

मैं, पुत्र/पुत्री/पत्नी (स्पष्ट अक्षरों में नाम)

श्री आवेदक / (कारपोरेट एटिटी के मामले में) का प्राधिकृत प्रतिनिधि होने के नाते, एतद्वारा यह सत्यापित करता हूँ और शपथ पार यह प्रतिज्ञान करता हूँ कि यह आवेदन और इस आवेदन की विषय-वस्तु मेरी जानकारी एवं विश्वास तथा रिकॉर्ड के अनुसार सही है और यह कि मैंने कोई तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाये हैं ।

(आवेदक के हस्ताक्षर)

तारीख:

स्थान :

भाग-ख

प्रत्येक आवेदक "भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड" के पक्ष में मुबई में देय माणदेय ड्राफ्ट (डिमाण्ड ड्राफ्ट) के माध्यम से पाँच हजार रुपये की फीस अदा करेगा ।

भाग-ग

वचन और अधित्यजन

फार्मेट

आवेदन के साथ प्रस्तुत किये जाने वाला वचन-सम्यक् रूप से स्टाम्प शुल्क अदा करके और निष्पादन के समय सम्यक् रूप से नोटरी करवाकर ।

मैं/हम,, जो इसमें आवेदक है (हैं), आवेदन की जाँच करने और निपटारे का समुचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड के पास सख्त आवेदन करने की शर्त के रूप में, एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मैं/हम सहमत हूँ/हैं और यह वचन देता हूँ/देते हैं कि :

- (1) मैं/हम अभिकथित चूक (व्यतिक्रम) की बाबत समुचित कार्यवाहियाँ आरम्भ करने के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड की अधिकारिता और अधिकार को स्वीकारता हूँ/स्वीकारते हैं ।
- (2) मैं/हम इस बात से भी सहमत हूँ/हैं और यह वचन देता हूँ/देते हैं कि निपटारे की कार्यवाहियों के दौरान बिताया गया समय मेरे / हमारे खिलाफ, किन्हीं विधिक कार्यवाहियों, यदि कोई हों, को आरम्भ करने या को जारी रखने या को प्रत्यावर्तित करने के लिए, परिसीमा की अवधि, यदि कोई हो, की संपूर्णता करने के लिए नहीं गिना जाएगा और इस सख्त मैं किन्हीं आमतियों को अधित्यजित करता हूँ/करते हैं ।
- (3) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड इस आवेदन के अनुसरण में पारित निपटारे के आदेश के किसी अतिक्रमण से या के सख्त मैं मेरे/हमारे खिलाफ उद्भूत किन्हीं दावों को प्रवर्तित करा सकेगा ।
- (4) निपटारे के आदेश में दी हुई कोई भी बात किसी अन्य व्यक्ति को कोई अन्य विधिक उपाचार, जो विधि के अनुसार ऐसा व्यक्ति मेरे/हमारे खिलाफ करने का हकदार हो सकेगा, करने से नहीं रोकेगी ।
- (5) मेरे/हमारे द्वारा प्रस्तावित निपटारा किसी व्यक्ति के लिए, जो इन कार्यवाहियों में भाग नहीं है, मेरे/हमारे खिलाफ किन्हीं प्राइवेट अधिकारों या उपाचारों को सीमित या सृजित नहीं करता है ।
- (6) निपटारे की रकम, जिसमें विधिक खर्च, यदि कोई हों, सम्मिलित हैं, बोर्ड द्वारा नियत अवधि के भीतर मेरे/हमारे द्वारा बोर्ड को अदा की जाएगी ।
- (7) भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 के अनुसार निपटारे के आदेश का अर्थ लगाया जायेगा और यह प्रवृत्त होगा ।
- (8) मैं/हम सहमत हूँ/हैं कि निपटारे का आदेश पारित होने के पश्चात्, मैं/हम, प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः, निपटारे के आदेश के किसी निष्कर्ष से इन्कार करते हुए या यह धारणा बनाते हुए कि निपटारे का आदेश तथ्यात्मक आधार से रहित है, कोई कार्रवाई या कोई सार्वजनिक कथन नहीं करूँगा/करेंगे या किये जाने की अनुज्ञा नहीं दूँगा/देंगे ।
- (9) मैं/हम एतद्वारा यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे द्वारा दिये गये अधित्यजन और वचन की कोई भी बात मेरे/हमारी (i) परिसाक्ष्य सख्त बाध्यताओं या (ii) मुकदमे के प्रतिवाद अथवा दावे या किसी अन्य विधिक कार्यवाही, जिसमें बोर्ड भाग नहीं है, के प्रतिवाद में कोई विधिक या तथ्यात्मक स्थितियाँ लेने के अधिकार को प्रभावित नहीं करेगी ।
- (10) मैं/हम 'तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारता हूँ/स्वीकारते हैं' या 'न तो तथ्य के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों को स्वीकारता हूँ/स्वीकारते हैं' और न ही इनसे इन्कार करता हूँ/करते हैं (जो भी लागू न हो उसे काट दें), जो निपटारे के आदेश का भाग हों, और निपटारे के आदेश, जैसा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (प्रशासनिक और सिविल कार्यवाहियों का निपटारा) विनियम, 2014 और उस सख्त मैं बोर्ड द्वारा जारी मार्गदर्शक सिद्धांतों तथा परित्रों के अनुसार विनिर्दिष्ट कार्यवाहियों के निपटारे के प्रयोजनार्थ पारित किया जाये, का पालन करने के लिए सहमत होता हूँ/होते हैं ।

- (11) मैं / हम निपटारे के आदेश, जो पारित किया जा सकता है, के अन्तर्गत आने वाले मुद्दों में से किसी मुद्दे के सम्बन्ध में भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के खिलाफ कोई विधिक कार्यवाहियाँ करने के अगुने अधिकार का अधित्यजन करता हूँ/करते हैं ।
- (12) मैं/हम :
- (क) तथ्यों के निष्कर्षों और विधि के निष्कर्षों का;
 - (ख) बोर्ड या बोर्ड के किसी अधिकारी के समक्ष कार्यवाहियों का;
 - (ग) सुनवाई के बाद की समस्त प्रक्रियाओं के अधिकार का;
 - (घ) न्यायाधिकरण/न्यायालयों के समक्ष अपील/पुनर्विलोकन का;
 - (ङ) विनियमों के ऐसे उद्बन्धों या विधि की अन्य अपेक्षाओं से सम्बन्धित किसी अभिवाक् का, जिनका अर्थ यह लगाया जा सकता हो कि वे भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के किसी अधिकारी को किन्हीं कार्यवाहियों, जिनमें निपटारे की कार्यवाहियाँ सम्मिलित हैं, में भाग लेने से अथवा किसी आदेश, राय, तथ्य के निष्कर्ष, या विधि के निष्कर्ष के विषय में, आन्तरिक समिति, उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की सहायता करने या को सलाह देने, आदि से रोकती हैं;
 - (च) समस्त आन्तरिक कार्यवाहियों या उनके किसी भाग के निपटारे पर विचार करने के या से सम्बन्धित विचार-विमर्शों के आधार पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति के पक्षपात या पूर्व-निर्णय के किसी अभिवाक् का;
 - (छ) यदि आवेदक निपटारे के आदेश का अतिक्रमण करता है, तो कार्यवाहियों को आरम्भ करने या उन पर नये सिरे से विचार करने के लिए परिसीमा के किसी अभिवाक् का भी अधित्यजन करता हूँ/करते हैं ।

(निगमित निकाय की स्टाफ और मुद्रा के साथ आवेदक के हस्ताक्षर)

मेरे समक्ष

नोटरी

अनुसूची - II

(विनियम 8 देखें)

निपटारे के निबन्धनों का निर्धारण करने हेतु मार्गदर्शक सिद्धांत

अध्याय I

1. निपटारे की रकम (सेटलमेण्ट अमाउंट या एसए) में इन मार्गदर्शक सिद्धांतों और विनियम 9 में उद्बन्धित तथ्यों के निबन्धनों, जहाँ कहीं भी लागू हो, के अनुसार निर्धारित की गयी सूचक राशि (इक्विटिव अमाउंट या आईए) अन्तर्विष्ट है ।

2. जिन व्यक्तियों को नाम-प्रदाता (नेम लेंडर) माना जाता है उन व्यक्तियों को छोड़कर, सूचक राशि (आईए), यथास्थिति, पहली बार आवेदन करने वाले आवेदकों के लिये ₹ 2 लाख से कम नहीं होगी या अन्यो के लिये ₹ 5 लाख से कम नहीं होगी ।

स्पष्टीकरण - 'पहली बार आवेदन करने वाला आवेदक' वह व्यक्ति होता है जिसने वर्तमान आवेदन की तारीख तक बोर्ड से कभी भी निपटारे का आदेश प्राप्त न किया हो।

3. उस अवस्था के आधार पर जिस पर कार्यवाही (कार्यवाहियाँ), जिसके लिये आवेदन किया गया है, लब्धित है (हैं), सूचक राशि (आईए) की गणना करते समय कार्यवाही सपरिवर्तन कारक (प्रोसीडिङ्ग कन्वर्जन फैक्टर या पीसीएफ) लगाया जायेगा ।
4. उन मामलों में, जहाँ किसी व्यक्ति के मौजूदा कारबार या क्रियाकलाप को या तो सीमित दायित्व भागीदारी (एलएलपी) या भागीदारी में निगमित या सपरिवर्तित कर दिया गया हो या किसी नये प्रबन्धन द्वारा उसका विलय या अधिग्रहण कर लिया गया हो, पहले की एटिटी के मौजूदा रिकार्ड को नयी एटिटी का रिकार्ड समझा जायेगा । उक्त एटिटी के दायित्व को निर्धारित करते समय नाम या प्रबन्धन या स्वामित्व में परिवर्तन जैसी बातें असम्मत होंगी ।
5. जहाँ एटिटी कम पीसीएफ का लाभ पाने की इच्छुक हो, किसी भी अभिकथित चूक के सम्बन्ध में, यह, *स्वप्रेरणा से*, कारण बताओ सम्बन्धी किसी सूचना (नोटिस) की प्राप्ति से पूर्व, बोर्ड को ऐसी चूक की सूचना दे सकती है (इसमें इसके अन्तर्गत 'चूक सम्बन्धी सूचना (इन्टीमेशन डिफॉल्ट)' के रूप में उल्लिखित) तथा भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड को अन्वेषण, जाँच, निरीक्षण या लेखापरीक्षा में सहयोग कर सकती है । तत्पश्चात्, यह अन्वेषण, निरीक्षण, आदि के पूरा हो जाने पर निपटारे का आवेदन दाखिल कर सकती है । पीसीएफ की गणना करने के प्रयोजनार्थ, इस आवेदन के बारे में यह समझा जायेगा कि यह आवेदन 'कारण बताओ सम्बन्धी सूचना (नोटिस) के जारी होने से पूर्व' किया गया है ।
6. सूचक राशि (आईए) की गणना प्रत्येक आवेदक के लिए की जानी है । उन मामलों में, जहाँ उसी वाद हेतुक (काँज ऑफ एक्शन) से उद्भूत चूक के लिये अनेक आवेदक सम्बन्धित रूप से आवेदन करते हैं, तो वहाँ सूचक राशि (आईए) की गणना लागू फार्मूले के अनुसार प्रत्येक आवेदक के लिये की जायेगी, उन मामलों को छोड़कर जो अधिग्रहण (टेकओवर) विनियमों के तहत चूकों से सम्बन्धित हों, जहाँ अर्जनकर्ता और सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों (पीएसी) के बारे में यह माना जा सकता हो कि उनका सम्बन्धित दायित्व है ।
7. आवेदन पर विचार करते समय, निरीक्षण रिपोर्ट या अन्वेषण रिपोर्ट या नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी (डीए) की रिपोर्ट या किसी लब्धित कार्यवाही के दौरान किसी प्राधिकारी द्वारा जारी की गयी कारण बताओ सूचना, जिसमें कारण बताओ सूचना की कोई अनुपूरक सूचना भी शामिल है, में उल्लिखित अभिकथित चूक (चूकें), अथवा नामनिर्दिष्ट सदस्य (डीएम) या पूर्णकालिक सदस्य (डब्ल्यूटीएम) या न्यायनिर्णायक अधिकारी (एओ) या प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण (सैट), जो भी लागू हों, के आदेश में उल्लिखित तथ्य/निष्कर्ष सूचक राशि (आईए) की गणना के आधार हो सकेंगे ।

यदि, आन्तरिक समिति (आईसी) या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति (एचपीएसी) या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की यह राय है कि तथ्य किसी भिन्न चूक को प्रकट करते हैं, तो उस पर विचार किया जा सकेगा ।

8. अभिकथित चूकों का वर्गीकरण, जहाँ कहीं भी लागू हो, आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर प्रमुख, गौण, गंभीर या विविध, आदि के रूप में किया जायेगा।
9. इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में दी हुई किसी बात के होते हुए भी, आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल के पास यह विवेकाधिकार होगा कि वह आवेदन को स्वीकार या अस्वीकार किये जाने की सिफारिश करे या को स्वीकार या अस्वीकार करे, प्रतिभूति विधियों के उद्देश्यों के अनुसार, मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों और आरोपों की गंभीरता पर विचार करते हुए, इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के निबन्धनों के अनुसार निर्धारित रकम से कम या अधिक रकम की सिफारिश करे।
10. ऐसे मामलों में जहाँ सूचक राशि (आईए) की गणना करने के फार्मूले लागू न होते हों अथवा चूक के स्वरूप या मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों की वजह से इन फार्मूलों को ढाला न जा सकता हो अथवा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में दी गयी सारणियों के अन्तर्गत उल्लिखित चूकें इसके दायरे में नहीं आती तो आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल निपटारे की रकम का निर्धारण कर सकेगा, जैसा वे ठीक समझें।
11. प्रतिभूति विधियों में सञ्चोधन (सञ्चोधनों) या उनके निरसन की दशा में, ये मार्गदर्शक सिद्धांत, यथावश्यक परिवर्तन सहित, सञ्चोधित या नयी विधियों के तहत वैसे ही प्रावधानों पर लागू होते रहेंगे।

अध्याय II

सूचक राशि और निपटारे की रकम

सूचक राशि (आईए) की गणना निम्नानुसार की जायेगी :

$$\text{आईए} = \text{ए बी} + \text{विधिक व्यय}^{\#}$$

*बोर्ड द्वारा किये गये विधिक व्यय सारणी I में यथा उल्लिखित क्रम स "घ" एवं "ङ" के अन्तर्गत उल्लिखित अवस्थाओं के दौरान किये गये आवेदन पर लागू होंगे।

‘ए’ = पीसीएफ + आरएएफ

ए : गुणन कारक (मल्टीप्लायर फैक्टर)

पीसीएफ: कार्यवाही संप्रवर्तन कारक (प्रोसीडिङ कन्वर्जन फैक्टर)

आरएएफ : विनियामक कार्यवाही कारक (रेग्युलेटरी एक्शन फैक्टर)

जहाँ

‘पीसीएफ’ - आवेदन की तारीख को, कार्यवाहियों की अवस्था के आधार पर नियत मान; और

‘आरएएफ’ - आवेदक को जारी पूर्ववर्ती आदेशों और विनियामक निदेशों के लिए नियत मान।

‘बी’ - बेंचमार्क राशि, वह राशि है जो उस अभिकथित चूक से सम्बंधित है जिसके लिए प्रतिभूति विधियों के अधीन बोर्ड द्वारा कार्यवाही आरम्भ की जा सकेगी या की गयी

है; इसका निर्धारण प्रत्येक श्रेणी की चूक के लिये अलग से किया जाता है और अनेक चूकों के मामलों में, उसकी कुल राशि का निर्धारण इन मार्गदर्शक सिद्धांतों की शर्तों के अनुसार किया जाता है;

1. यदि उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) से उद्भूत एक से अधिक कार्यवाहियाँ आवेदक के खिलाफ आरम्भ की गई हों, तो सूचक राशि (आईए) में 15% तक की वृद्धि हो जायेगी।
परन्तु यह कि जहाँ न्यायनिर्णायक अधिकारी ने आवेदक पर पहले ही शास्ति लगायी हो, तो 'बी' इन मार्गदर्शक सिद्धांतों द्वारा निकाली गयी राशि या न्यायनिर्णायक अधिकारी द्वारा लगायी गयी शास्ति; जो भी अधिक हो, के बराबर होगी। ऐसे मामलों में जहाँ पूर्णकालिक सदस्य या नामनिर्दिष्ट सदस्य (डीएम) ने आवेदक को विवर्जित करने या निलम्बित करने के निदेश जारी किये हों, तो आरएफ के अन्तर्गत सारणी III के अनुसार वाई के मान पर विचार किया जायेगा।
2. वह राशि निपटारे की रकम (एसए) होती है, जिसकी सिफारिश अन्तिम रूप से उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति द्वारा सूचक राशि (आईए), किन्हीं न्यूनकारी या गुरुतरकारी कारकों, आदि पर विचार करने के पश्चात् की गयी हो; और जो पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मंजूर की गयी हो।
3. निपटारे की रकम का भुगतान किये जाने के पश्चात्, निपटारे का आदेश अन्य निदेशों, यदि कोई हों, के साथ, तदनुसार पारित किया जायेगा।

अध्याय III

कार्यवाही सारिवर्तन कारक (प्रोसीडिङ कन्वर्जन फैक्टर या पीसीएफ)

आवेदन की तारीख को, कार्यवाहियों की अवस्था के आधार पर नियत मान, सारणी I के अनुसार पीसीएफ होंगे।

सारणी I - पीसीएफ

कार्यवाही (कार्यवाहियों) की अवस्था जब आवेदन किया जाता है		पीसीएफ का मान
क.	कारण बताओ सख्ती सूचना (नोटिस) जारी होने से पहले (सूचना सख्ती मामलों सहित)	0.75
ख.	उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) में किसी लम्बित कार्यवाही के सख्ती में कारण बताओ सख्ती पहली सूचना (नोटिस) जारी होने के पश्चात्	0.85
ग.	नामनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करने के पश्चात् लम्बित कार्यवाही	0.9
घ.	यथास्थिति, न्यायनिर्णायक अधिकारी या नामनिर्दिष्ट सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् लम्बित कार्यवाहियाँ	1.10
ङ.	प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण या उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित करने के पश्चात् लम्बित कार्यवाहियाँ	1.20

परन्तु यह कि जहाँ उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) से उद्भूत एकाधिक कार्यवाहियों का निपटारा किये जाने की मांग की जाती है, तो अन्य कार्यवाहियों की प्रगति की अवस्था पर विचार किये बिना, उस कार्यवाही, जो सबसे अग्रवर्ती अवस्था में हो, के मान को पीसीएफ के रूप में लिया जायेगा।

अध्याय IV

सभी आदेशों और विनियामक निदेशों के लिए मान

अतीत में जारी आदेशों और विनियामक निदेश (निदेशों), यदि कोई हो, के लिए नियत समस्त मानों का योग 'आरएफ' होगा।

'आरएफ' = एक्स + वाई

सारणी II - जारी आदेशों और विनियामक निदेशों के लिए मान - एक्स*

*उन आदेशों और निदेशों को भी शामिल किया जाना है जिन पर आवेदन की तारीख तक, प्रतिभूति अपील न्यायाधिकरण या न्यायालय द्वारा रोक लगायी गयी है। यदि उसी वाद हेतुक (कॉज ऑफ एक्शन) के लिए एकाधिक कार्यवाहियाँ शुरू की गयी हों, तो प्रत्येक पारित आदेश के लिए मान जोड़ दिया जायेगा।

आवेदक को जारी किये गये आदेश और विनियामक निदेश	एक्स प्रति आदेश
दोषमुक्त मामले अर्थात् ऐसे मामले जहाँ आवेदक को आदेश या अपील या समीक्षा में दोषमुक्त कर दिया गया था	0
निपटारे का आदेश	0.01
अन्य सभी आदेश (उन आदेशों को छोड़कर जिनके लिए आवेदन दाखिल किया गया है)	
परिवरित (सीज़) और प्रतिविरत (डीजिस्ट) आदेश	0.02
अन्य बाजार सहभागियों के खिलाफ न्यायनिर्णायक अधिकारी या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी आदेश	0.05
मध्यवर्तियों या सूचीबद्ध कानियों के खिलाफ न्यायनिर्णायक अधिकारी या नामनिर्दिष्ट सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य द्वारा जारी आदेश	0.075

**सारणी III - पारित या जारी आदेश या निदेश, जिसके लिए आवेदन दाखिल किया गया है, के लिए मान -
वाई**

नामनिर्दिष्ट सदस्य के समक्ष कार्यवाही	पूर्णकालिक सदस्य के समक्ष कार्यवाही	“वाई” प्रति आदेश
जारी की गयी चेतावनी		0.05
1 सप्ताह तक का निलंबन	6 कैलेंडर महीने तक का विवर्जन	0.1
1 सप्ताह या उससे अधिक का निलंबन, किन्तु 1 महीने से कम के लिए	6 कैलेंडर महीने या उससे अधिक तक का विवर्जन, किन्तु 1 वर्ष से कम के लिए	0.15
1 महीने या उससे अधिक का निलंबन, किन्तु 3 महीने से कम के लिए	1 वर्ष या उससे अधिक तक का विवर्जन, किन्तु 2 वर्ष से कम के लिए	0.2
3 महीने या उससे अधिक का निलंबन, किन्तु 1 वर्ष से कम के लिए	2 वर्ष या उससे अधिक तक का विवर्जन, किन्तु 3 वर्ष से कम के लिए	0.25
1 वर्ष या उससे अधिक का निलंबन	3 वर्ष या उससे अधिक तक का विवर्जन, किन्तु 5 वर्ष से कम के लिए	0.3

अध्याय V

कटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित चूकों के लिए बेंचमार्क राशि

कटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित चूकों के लिए बेंचमार्क राशि, अर्थात् बी (एफयूटीपी), की गणना की जा सकेगी, जैसी इस अध्याय में विस्तारपूर्वक दी गयी है।

हालाँकि, आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, कटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों से संबंधित गंभीर चूक के मामलों में, प्रतिभूति विधियों के उपबन्धों के अनुसार, आवेदक की बेंचमार्क राशि ले सकता है यदि गणना के आधार पर निकाली गयी राशि कम पायी जाए और यह राशि अभिकथित चूक की गंभीरता के अनुरूप न हो।

उपरोक्त के होते हुए भी, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड गंभीर कटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों पर निपटारा नहीं करेगा, जो उसकी राय में, निवेशकों को, विशेषकर छोटे निवेशकों और छोटे शेयरधारकों को, पर्याप्त हानि पहुँचाते हों या जिनका बाजार पर व्यापक प्रभाव हो अथवा पड़ सकता हो, उन चूकों के अलावा जहाँ आवेदक ने विनिधानकर्ताओं (निवेशकों) को हानियों की पूर्ति, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के समाधानप्रद रूप में, कर दिया हो या करने का इरादा रखता हो।

बी (एफयूटीपी) = सारणी IV के अनुसार आधार मानों का योग X लागू राशि

सारणी IV - आधार मान

कूक का स्वरूप	आधार मान
क.	<p>कटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहार या कटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहार से संबंधित अन्वेषण के दौरान नोट किये गये आचार संहिता का अतिक्रमण</p> <p>या</p> <p>कटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के साथ आचार संहिता का अतिक्रमण अथवा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अंतराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिषेध) विनियमों या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियमों</p> <p>या</p> <p>कटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार के साथ धनशोधन निवारण के संघर्ष में भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के मुख्य परिषद (मास्टर परिषद) का अतिक्रमण, आदि</p>
ख.	<p>कूक संबंधी व्यापारित परिमाण और/या कीमत-परिवर्तन के कारक</p>
	<p>1.35</p> <p>1.37</p> <p>1.4</p> <p>‘वी’, ‘पी’ और ‘क्यू’, जहाँ कहीं लागू हों, का योग केवल उसी स्थिति में लागू किया जाना है, यदि यथास्थिति समूह (जिसका आवेदक हिस्सा है) के अथवा आवेदक (जब वह अकेले कार्य करता है) के संघर्ष में व्यापारित परिमाण या कीमत-परिवर्तन, व्यापारित मात्रा की गणना यथास्थिति, अन्वेषण रिपोर्ट या कारण बताओ सूचना या आदेश में प्रकट किये गये निष्कर्षों के आधार पर की जाती है।</p> <p>यदि अनेक व्यापारित (ट्रेडिंग) अवधियाँ अंतर्वर्तित हैं तो उच्चतम परिवर्तन पर विचार किया जायेगा।</p>

ग.	अनुचित साधनों से कमाये गये मुनाफे का आवधिक मान*	0.09 X चूक होने की तारीख से कलेंडर वर्षों की सङ्ख्या
घ.	सभी मामलों में लागू ख्याति जोखिम	सभी आवेदक - 0.25

‘कारक ‘ग’ केवल ऐसे मामलों में लागू है जहाँ वास्तविक लाभ और/या टाली गयी हानि (लगभग) का निर्धारण किया जा सकता हो । अवधि की गणना करते समय, अज्ञात (फ्रैक्शन) पर ध्यान न दिया जाये ।

‘वी’=चूक की समस्त अवधि के दौरान किसी व्यापारिक अवधि में व्यापारित ऋिमाण के उच्चतम % के लिए मान

एक से अधिक स्क्रिप के मामले में, उच्चतम व्यापारित ऋिमाण वाली स्क्रिप पर विचार किया जाना है

% व्यापारित ऋिमाण (अर्थसुलभता-रहित स्क्रिप)	“वी”	% व्यापारित ऋिमाण (अर्थसुलभ स्क्रिप)
50% तक	0.05	2% तक
50 -60%	0.07	2-5%
60-75%*	0.1	5-10%*
75% या उससे अधिक*	0.15	10% या उससे अधिक*

*जहाँ किसी व्यापारिक अवधि के दौरान व्यापारित मात्रा इस श्रेणी के अन्तर्गत आती है, तो वहाँ आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल यह विचार करेगा कि चूक के सङ्ग्रह में निपटारा हो सकेगा या नहीं।

“पी” = चूक की समस्त अवधि के दौरान किसी व्यापारिक अवधि में कीमत-परिवर्तन के उच्चतम % के लिए मान

एक से अधिक स्क्रिप के मामले में, सर्वाधिक कीमत-परिवर्तन वाली स्क्रिप पर विचार किया जाना है

% कीमत-परिवर्तन (अर्थसुलभता-रहित स्क्रिप)	“पी”	% कीमत-परिवर्तन (अर्थसुलभ स्क्रिप)
50% तक	0.05	5% तक
50-100%*	0.07	5-10%*
100-200%*	0.1	10-20%*
200% या उससे अधिक *	0.15	20% या उससे अधिक*

*जहाँ किसी व्यापारिक अवधि के दौरान कीमत-परिवर्तन इस श्रेणी के अन्तर्गत आता हो, तो वहाँ आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल यह विचार करेगा कि चूक के सम्बन्ध में निपटारा हो सकेगा या नहीं।

‘क्यू’ = किसी भी व्यापारिक अवधि में कीमत-परिवर्तन के उच्चतम % के लिए मान, एफएचओ एवपलीवरेज उत्पादों के लिए चूक की अवधि के दौरान

एक से अधिक उत्पादों (प्रोडक्ट) के मामले में, सर्वाधिक कीमत-परिवर्तन वाली सप्लिदा (कॉन्ट्रेक्ट) पर विचार किया जाना है

% कीमत-परिवर्तन	“क्यू”
0.5% तक	0.05
0.5-1%	0.07
1-5%*	0.1
5% या उससे अधिक*	0.15

*जहाँ किसी व्यापारिक अवधि के दौरान कीमत-परिवर्तन इस श्रेणी के अन्तर्गत आता हो, तो वहाँ आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल यह विचार करेगा कि चूक के सम्बन्ध में निपटारा हो सकेगा या नहीं।

II - लागू राशि

आवेदक के लिए लागू राशि = प्रत्येक आवेदक के कमाये गये मुनाफे और/ या टाली गयी हानि*

या

सारणी V के अनुसार आधार राशि,

जो भी अधिक हो

*अध्याय V से VII में, कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि की गणना निम्नलिखित पर विचार करने के पश्चात् की जायेगी :

1. ऐसे मामलों में, जहाँ कमाये गये मुनाफे या टाली गयी हानि एक साथ हो रहे हैं, वहाँ आवेदक द्वारा अनुचित साधनों से कमाये गये कुल मुनाफे का निर्धारण करने के लिए दोनों के योग पर विचार किया जायेगा ।
2. कटपूर्ण प्रतिभूतियों के निर्गमन, प्रतिभूतियों के कटपूर्ण क्रय (जिसमें वित्त-पोषण हेरफेर के जरिये किया जाना, आदि शामिल है) के मामलों में, कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि की गणना क्रय, आबन्धन, निर्गम, आदि; जो भी सञ्जात हो, की तारीख को प्रतिभूतियों के बाजार मूल्य पर विचार करने के पश्चात् की जायेगी, उसके बाद में किये गये विक्रय से कमाये गये मुनाफे, यदि कोई हो, के अतिरिक्त ।

3. जिन मामलों में निर्गम में निधियों को बेईमानी पूर्ण ढङ्ग से निकाला जाना या प्रतिभूतियों का एकाधिकारात्मक क्रय (कॉर्नरिङ्ग) शामिल है, उन मामलों में आवेदक द्वारा कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि के सबब में आवेदक द्वारा प्राप्त प्रतिभूतियों के निवल आगमों (प्रोसिड्स) या मूल्य या उसके हिस्से पर विचार किया जायेगा ।
4. जिन मामलों में मध्यवर्ती शामिल हो, कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि के सबब में चूक, चाहे किसी भी नाम से पुकारी जाये और किसी सापत्तिक व्यापार (प्रोप्राइटी ट्रेड), यदि कोई हो, के सबब में आवेदक द्वारा अर्जित सकल फीस पर विचार किया जायेगा ।
5. ऐसे मामलों में, जहाँ कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार का उद्देश्य कीमत को बनाये रखना है, कमाये गये मुनाफे या टाली गयी हानि के सबब में उन माध्यमों पर विचार किया जायेगा जिनके द्वारा आवेदक को लाभ हुआ है, जिनमें शामिल हैं - उस स्क्रिप्ट के सबब में किसी भी प्रकार की गिरवी, मार्जिन आवश्यकताओं प्रतिभूतियों पर लिये गये ऋणों, हैज, ऑप्शन्स, हाइब्रिड्स, फ्यूचर्स, प्रतिभूतियों का निर्गमन, आदि, का मूल्य, जिसमें आवेदक की रुचि थी ।
6. ऐसे मामलों में, जहाँ गलत जानकारी के प्रसार के पश्चात् व्यापार (ट्रेड) किये गये हों, वहाँ कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि के सबब में प्रतिभूति की क्रय या विक्रय कीमत और उस प्रतिभूति के मूल्य, जो सही जानकारी के सार्वजनिक प्रसार से युक्तियुक्त अवधि के पश्चात् प्रतिभूति की व्यापार (ट्रेड) कीमत द्वारा आँका जाये, के बीच के अंतर पर विचार किया जायेगा ।

सारणी V - आधार राशि

और

कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (जिनमें कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों (एफयूटीपी) के सबब में सहायता और दुष्प्रेरण शामिल है) सबबधी मानदंड (जहाँकहीभी लागू हों) या कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहारों (एफयूटीपी) से सबधित आचार संहिता

यदि एक से अधिक मानदंड लागू होते हैं, तो उच्चतम आधार राशि, जैसा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के अनुसार उचित हो, पर विचार किया जा सकेगा ।

आवेदक का प्रवर्ग		आधार राशि और मानदंड*
क.	मध्यवर्ती	(i) जहाँ एटिटी पर कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) या कठपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) के सबब में सहयोग देने और दुष्प्रेरण का आरोप हो

		<p>₹15 लाख</p> <p>या</p> <p>मध्यवर्ती के माध्यम से निष्पादित सकल कटपूरु व्यापारों जिनमें सापत्तिक व्यापार भी शामिल हैं, के मूल्य का 1.5%,</p> <p>जो भी अधिक हो</p> <p>(ii) जहाँ मध्यवर्ती पर आचार संहिता के अतिक्रमण का आरोप हो</p> <p>₹8 लाख</p> <p>या</p> <p>मध्यवर्ती के माध्यम से निष्पादित सकल कटपूरु व्यापारों के मूल्य का 0.75%</p> <p>जो भी अधिक हो</p> <p>(iii) नामनिर्दिष्ट सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य के समक्ष कार्यवाहियों के मामलों में, आधार राशि की गणना चूक की अवधि के दौरान सकल वार्षिक आय के उचित अक्ष (फ्रैक्शन) या गुणज पर विचार करके भी की जा सकेगी, जैसी कि आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के मद्देनजर सिफारिश की जाये या विनिश्चय किया जाये।</p>
ख.	<p>आवेदक जिस पर कटपूरु और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफयूटीपी) क्रियाकलापों के वित्तपोषण का आरोप है</p> <p>(वे सूचीबद्ध कानूनियाँ जो उधार देने के कारबार में लिप्त नहीं हैं, किन्तु उन पर निर्गम</p>	<p>₹15 लाख</p> <p>या</p> <p>प्रति वर्ष 15% × उपलब्ध करायी गयी निधियाँ × जिस अवधि के लिए निधियाँ उपलब्ध करायी गयी थी, जो भी अधिक हो</p>

	के वित्तपोषण का आरोप है, क्रम सप 'घ' के अधीन आती हैं)	
ग.	<p>सप्रवर्तक</p> <p>पूर्णकालिक निदेशक या अध्यक्ष</p> <p>अन्य निदेशक या मूल प्रबन्ध कार्मिक (केएमपी)</p>	<p>₹1 करोड़</p> <p>या</p> <p>क़ानूनी में इसकी धारिताओप (जिनमें कोई सप्रिवर्तनीय वारध या ऑप्शन्स शामिल हैं) के (उच्चतम) बाजार मूल्य का 0.5%</p> <p>जो भी अधिक हो</p> <p>₹25 लाख</p> <p>या</p> <p>क़ानूनी में इसकी धारिताओप (जिनमें कोई सप्रिवर्तनीय वारध या ऑप्शन्स शामिल हैं) के (उच्चतम) बाजार मूल्य का 0.5%</p> <p>जो भी अधिक हो;</p> <p>₹10 लाख</p> <p>टिप्पणी:</p> <p>I. आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से पूर्व के सञ्चित मामले में, बाजार मूल्य की गणना सूचीबद्ध कीमत के आधार पर की जायेगी ।</p> <p>II. पहले से ही सूचीबद्ध क़ानूनियों के मामले में, चूक की अवधि के दौरान धारिताओप के मूल्य को लिया जायेगा ।</p>
घ.	<p>सूचीबद्ध क़ानूनियाँ</p> <p>(यथास्थिति, सप्रवर्तक समूह या निदेशकों या मूल प्रबन्ध कार्मिकों</p> <p>(केएमपी) या क़ानूनी या दोनों द्वारा अदा की जानी है)</p>	<p>₹10 लाख</p> <p>या</p> <p>चूक की अवधि के दौरान इसके (उच्चतम) सपूर्ण बाजार पूँजीकरण (मार्किट कैप) का 0.1% ।</p> <p>जो भी अधिक हो</p>

	<p>(उस मामले में जहाँ कानूनी ढर्रे अने निर्णय में निधि उपलब्ध कराने का आरोप है या कपटपूर्ण और अनुचित व्यापारिक व्यवहार (एफ्यूटीपी) सबूती कोई अन्य आरोप है तथा संप्रवर्तकों या निदेशकों ढर्रे भी उसी चूक का आरोप है जिसका आरोप कानूनी ढर्रे है, केवल तभी क्रम सऱ 'घ' लागू होती है । अन्य मामलों में, क्रम सऱ 'ग' या 'घ' का उच्चतम यथास्थिति, संप्रवर्तकों या निदेशकों द्वारा वहन किया जायेगा)</p>	<p>टिप्पणी:</p> <ol style="list-style-type: none"> आरम्भिक सार्वजनिक प्रस्ताव (आईपीओ) से पूर्व के संबंधित मामले में, बाजार मूल्य की गणना सूचीबद्ध कीमत के आधार ढर्रे की जायेगी । ढर्रे से ही सूचीबद्ध कानूनीयों के मामले में, चूक की अवधि के दौरान धारिताओं के मूल्य को लिया जायेगा ।
ड.	नाम-प्रदाता ग्राहक या प्रष्ट एटिटियाँ या नकली एटिटियाँ	प्रत्येक आवेदक के लिए निर्धारित की जानी है जैसी कि आस्रिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के ढैनल द्वारा मामले के तथ्यों एवढऱ ढरिस्थितियों के मद्देनज़र सिफारिश की जाये या विनिश्चय किया जाये ।
च.	मूल सञ्चालक (ऑपरेटर)	<p>प्रत्येक आवेदक के लिए निर्धारित की जानी है जैसी कि आस्रिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के ढैनल द्वारा मामले के तथ्यों एवढऱ ढरिस्थितियों के मद्देनज़र सिफारिश की जाये या विनिश्चय किया जाये ।</p> <p>उपरोक्त के होते हुए भी, यदि मूल सञ्चालक आगमों (प्रोसीड्स) या प्रतिभूतियों के एकाधिकारात्मक क्रय में अढना हिस्सा, बड़े ढरिमाण में या पूरा हिस्सा, अन्य सञ्चालक को अस्रित करता हो, तो आधार राशि में सकल राशि या किये गये अस्रण के उचित अञ्च या गुणज ढर्रे विचार करके उचित अञ्च को भी जोड़ा जा सकता है, जैसी कि आस्रिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के ढैनल द्वारा मामले के तथ्यों एवढऱ ढरिस्थितियों के मद्देनज़र सिफारिश की जाये या निर्णय लिया जाये ।</p>

छ.	विदेशी सङ्ग्राह्य निवेशक सापत्तिक ङ-लेखा	₹35 लाख या अभिरक्षाधीन कुल आस्तियों (एयूसी) का 0.005%, जो भी अधिक हो
	गैर-सापत्तिक ङ-लेखे	₹20 लाख या अभिरक्षाधीन कुल आस्तियों (एयूसी) का 0.005%, जो भी अधिक हो
ज.	बही चालक (बुक रनर) अग्रणी प्रबन्धक या अग्रणी प्रबन्धक और निर्गम या अधिग्रहण से सहयुक्त अन्य मध्यवर्ती	बही चालक (बुक रनर) अग्रणी प्रबन्धक या अग्रणी प्रबन्धक द्वारा सञ्चालित निर्गम या अधिग्रहण आकार (या अनुमानित निर्गम आकार) का 1% और अन्य मध्यवर्तियों के लिए 0.25%
झ.	आस्ति प्रबन्ध क्कानी (एएमसी) न्यासी, प्रायोजक, आदि (पारस्परिक निधि, आदि के मामले में आस्ति प्रबन्ध क्कानी (एएमसी), सीआईएमसी, प्रबन्धक, आदि द्वारा अदा की जानी है और स्कीमों से प्रभारित नहीं की जानी है)	₹25 लाख या प्रबन्धनाधीन कुल आस्तियों (एयूएम) का 0.001% या शुद्ध-मालियत का 0.1% ; जो भी अधिक हो
ञ.	जहाँ आवेदक के लिए ङपरोक्त में से कोई भी लागू न हो	प्रत्येक आवेदक के लिए निर्धारित की जानी है जैसी कि आस्रिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों के मद्देनज़र सिफारिश की जाये या निर्णय लिया जाये ।

*हेरफेर की गयी प्रति स्क्रिप्ट या उत्पाद की गणना की जानी है । यदि स्क्रिप्ट बीएसई लि. या नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लि. के किसी सूचकांक (इंडेक्स) का भाग हो, तो आधार राशि 15% तक बढ़ जाएगी ।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में निम्नलिखित व्यक्तियों को 'नाम-प्रदाता' समझा जाएगा':

आवेदक, जो डीमैट खाता या ग्राहक खाता खोलने के लिए अपने नाम का इस्तेमाल किये जाने की अनुमति देता है या जिसके नाम का इस्तेमाल किसी अन्य व्यक्ति (जो उस खाते का इस्तेमाल अपने खाते की तरह करता है) द्वारा किया जाता है। इसमें ऐसा खाता-प्रदाता भी शामिल है जिसके डीमैट खाते या ग्राहक खाते का इस्तेमाल बाजार लेन-देनों (सह्यवहारों) के लिए उससे भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जाने की अनुमति दी जाती है या दी गयी है, ऐसे अन्य क्रियाकलाप के उद्देश्य से, जिसमें हेराफेरी या अन्य कटपूर्ण क्रियाकलाप शामिल हैं।

इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में उल्लिखित प्रमुख सञ्चालक में शामिल है - हेराफेरी करने वाला मुख्य व्यक्ति और कोई अन्य आवेदक जो आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल की राय में ऐसे प्रवर्ग में आता हो।

अध्याय VI

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का ऋयस अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अन्तराष्ट्र व्यापार का प्रतिषेध) विनियम के तहत प्रकटीकरण और अन्य प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ, आदि सञ्घष्ठी चूकों के अन्तर्गत बेंचमार्क राशि

प्रकटीकरण सञ्घष्ठी चूकों के लिए बेंचमार्क राशि अर्थात् बी (डी) की गणना इस अध्याय के आधार पर की जा सकेगी। इस अध्याय में उन प्रकटीकरण चूकों की चर्चा नहीं की गयी है जो कटपूर्ण और अनुचित (अऋजु) व्यापारिक व्यवहारों से सञ्घषित हैं।

हालाँकि, आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, गञ्धीर प्रकटीकरण चूकों के मामलों में, प्रतिभूति विधियों के उबधों के अनुसार, आवेदक की बेंचमार्क राशि ले सकता है यदि गणना के आधार पर निकाली गयी राशि कम ायी जाती है और यह राशि अभिकथित चूक की गञ्धीरता के या आवेदक द्वारा अनुचित तरीके से कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि के अनुरूप नहीं है।

बी (डी) = सारणी IX के अनुसार आधार मान × सारणी VI या VII के अनुसार आधार राशियों का योग

सारणी VI - आधार राशि - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का ऋयस अर्जन और अधिग्रहण) विनियम के अधीन प्रकटीकरण

शेयरधारिता या मताधिकारों का प्रतिशत, जिनका अर्जन या व्ययन किया गया किमु प्रकटीकरण नहीं किया गया या शेयरों का प्रतिशत जिनका विल्लभन किया गया किमु प्रकटीकरण नहीं किया गया, आदि	निम्न के अतिक्रमण हेतु आधार राशि		
	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का ऋयस अर्जन और अधिग्रहण)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का ऋयस अर्जन और अधिग्रहण)	भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का ऋयस अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 का विनियम

	विनियम, 1997 का विनियम 7 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का ऀर्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का विनियम 29	विनियम, 1997* का विनियम 8 या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का ऀर्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011* का विनियम 30	8क या भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का ऀर्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 2011 का विनियम 31
2 % तक	₹1 लाख + ₹5,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलब्ध [#] के लिए		
2% से 5% से कम तक	₹2 लाख + ₹10,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलब्ध के लिए		
5% से 10% से कम तक	₹5 लाख + ₹15,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलब्ध के लिए		
10% से 15% से कम तक	₹10 लाख + प्रकट न की गयी धारिता के मूल्य का 0.1 % + ₹ 20,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलब्ध के लिए		

15% और उससे अधिक	₹15 लाख + प्रकट न की गयी धारिता के मूल्य का 0.1 % + ₹25,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलंब के लिए
------------------	--

*आधार राशि केवल निम्नतम स्तर के अनुसार ही होगी, इस बात का विचार किये बिना कि रिपोर्टिंग अवधि के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन हुआ है या नहीं। उन प्रकटीकरणों से संबंधित चूकों के मामले में, जिनका प्रकटीकरण वार्षिक रूप से किया जाना अपेक्षित है, और ऐसी सतत चूकों के निपटारे के लिए आवेदन दाखिल किया हो, तो प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलंब के लिए राशि की गणना पहले अप्रकटीकरण (नॉन-डिस्कलोजर) के लिए ही की जायेगी। यदि आवेदक कुछ वर्षों के लिए वार्षिक रिपोर्टिंग अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, तो ऐसे अनुपालन के परिणामस्वरूप उस राशि की अपेक्षा उच्चतर आधार राशि की गणना नहीं की जायेगी, जिसकी गणना अन्यथा सतत चूकों के लिए की जाती।

*विलंब की अवधि की गणना उस अंतिम दिन से की जायेगी, जब विनियमों की अपेक्षानुसार प्रकटीकरण किया जाना चाहिए था।

यदि समय पर सही प्रकटीकरण किया गया हो किन्तु गलत फॉर्मेट में दाखिल किया गया हो, तो आधार राशि 75% तक कम हो जायेगी।

सारणी VII - भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिषेध) विनियम, 1992 के विनियम 13(3), 13(4), 13(4क) एवम तत्संबंधी 13(6) के अधीन सघन्यवहार (ट्रांज़ैक्शन) संबंधी प्रकटीकरण

अर्जित की गयी किन्तु प्रकट न की गयी शेयरधारिता या मताधिकार का प्रतिशत, आदि	आधार राशि*
2 % तक	₹1.5 लाख + ₹7,500/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलंब के लिए
2% से 5% से कम तक	₹2.5 लाख + ₹12,500/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलंब के लिए

5% से 10% से कम तक	₹6 लाख + ₹17,500/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए
10% से 15% से कम तक	₹12 लाख + प्रकट न की गयी धारिता आदि के मूल्य का 0.1 % + ₹22,500/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए
15% और उससे अधिक	₹20 लाख + प्रकट न की गयी धारिता आदि के मूल्य का 0.1 % + ₹25000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए

*यदि सख्त व्यक्तियों द्वारा और मूल प्रबन्ध कार्मिकों (केएमपी) द्वारा प्रकटीकरण न किये गये हों, तो आधार राशि 25% तक बढ़ जायेगी ।

यदि आवेदक पर भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम और भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (अन्तराष्ट्र व्यापार का प्रतिषेध) विनियम दोनों के सख्त में प्रकटीकरण न किये जाने का आरोप हो, तो इन विनियमों में से किसी भी विनियम के लिए तय किया गया आधार राशि 75% तक कम हो जायेगी ।

अन्य प्रकटीकरण तथा रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ

बी(डी) = सारणी IX के अनुसार आधार मान X सारणी VIII के अनुसार आधार राशि का योग

सारणी VIII - आधार राशि

चूक का स्वरूप	आधार राशि
अप्रकटीकरण (नॉन-डिस्कलोजर) का प्रकार	
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अंतरराष्ट्रीय व्यापार का प्रतिषेध विनियम आवधिक और अन्य प्रकटीकरण	₹3 लाख + ₹5,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड शेयरों का प्रत्यास अर्जन और अधिग्रहण विनियम रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ या प्रकटीकरण जिनके लिए छूट उपलब्ध हैं, उन मामलों को छोड़कर जहाँ छूट का उपयोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के अननुपालन के परिणामस्वरूप खुले प्रस्ताव की बाध्यता लागू हो जायेगी [भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का प्रत्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 6 की बाबत उपबन्ध पुराने हो गये हैं और किसी राशि की सिफारिश नहीं की जा सकती, उस मामले को छोड़कर जहाँ केवल भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों का प्रत्यास अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 के विनियम 6 का ही अतिक्रमण किया गया हो, ₹2 लाख की न्यूनतम राशि लागू की हो सकेगी]	₹2 लाख + ₹10,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड {विदेशी सङ्स्थागत निविधानकर्ता (निवेशक)} विनियम सूचना प्रदान करने में असफलता तात्त्विक परिवर्तनों की सूचना	₹20 लाख प्रति चूक ₹5 लाख प्रति चूक

<p>अन्य</p> <p>आचार संहिता संबंधी रिपोर्टिंग अपेक्षाएँ</p> <p>या</p> <p>निदेशक की नियुक्ति संबंधी प्रकटीकरण</p> <p>या</p> <p>प्रकटीकरण संबंधी कोई अन्य चूकें जिनका उल्लेख इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में नहीं किया गया है, यदि उचित समझा जाये</p>	<p>₹2 लाख</p> <p>+</p> <p>₹10,000/- प्रत्येक तीन महीने या उसके भाग के विलम्ब के लिए</p>
---	---

सारणी IX - आधार मान

चूक का स्वरूप	आधार मान
क) शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण या अन्तरग व्यापार का प्रतिषेध या पूँजी का निर्गमन और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ विनियम, आदि का स्वतः अतिक्रमण, जो नीचे उल्लिखित प्रवर्गों में से किसी में नहीं आता	1
ख) किसी अन्य आरोप के साथ प्रकटीकरण न किये जाने संबंधी आरोप	1.1
ग) प्रकटीकरण न किये जाने का आरोप, यद्यपि किसी अन्य विनियम (विनियमों) के तहत संबंधित प्रकटीकरण समय पर किया गया हो	0.6
घ) प्रकटीकरण न किये जाने का आरोप, यद्यपि भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम के किसी अन्य विनियम या सूचीबद्धता करार, आदि के अधीन संबंधित प्रकटीकरण समय पर किया गया हो	0.55
ङ) कानूनियाँ जिनकी समादत्त शेयर पूँजी ₹10 करोड़ से कम हो (उन कानूनों पर लागू नहीं जो केवल धारिता कानूनियाँ हैं)	0.5

सारणी IX में 'क' से 'ङ' तक सभी कारक परस्पर अलग (अनन्य) हैं। एक से अधिक कारक के लागू होने की स्थिति में, निम्नतम कारक पर विचार किया जायेगा।

खुले प्रस्ताव संबंधी चूकें जिनमें अप्रत्यक्ष अर्जन शामिल हैं

(केवल सहमति-योग्य मामले)

खुले प्रस्ताव संबंधी चूकों के लिए बेंचमार्क राशि, अर्थात् बी (ओओ) की गणना निम्नलिखित आधार पर की जा सकेगी।

हालाँकि, आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, खुले प्रस्ताव सम्बन्धी गंभीर चूक के मामलों में, प्रतिभूति विधियों के उपबन्धों के अनुसार आवेदक की बेंचमार्क राशि ले सकेगा यदि गणना के आधार पर निकाली गयी राशि कम पायी जाती है और यह राशि अभिकथित चूक की गंभीरता के अनुरूप नहीं है।

छूट का उपभोग करने के लिए पुरोभाव्य शर्त के अननुपालन के परिणामस्वरूप खुले प्रस्ताव की बाध्यता लागू हो जायेगी और जिसका विचार सारणी X एवं सारणी XI के अनुसार किया जायेगा।

बी (ओओ)= सारणी XI के अनुसार आधार मानों का योग × सारणी X के अनुसार आधार राशि

सारणी X - आधार राशि

चूक का स्वरूप	अर्जनकर्ता और सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए आधार राशि
विलम्बित खुला प्रस्ताव	₹25 लाख या
खुले प्रस्ताव सम्बन्धी चूकों के मामले – जो न्यायनिर्णयन के लिए निर्देशित किये गये	खुले प्रस्ताव के आकार का 0.25%, अर्थात् शेयरों की अधिकतम संख्या जिनके लिए खुला प्रस्ताव अवश्य लाया जाना चाहिए × लागू खुले प्रस्ताव का मूल्य, जो भी अधिक हो।
विलम्बित खुला प्रस्ताव (बोर्ड के निदेश के पश्चात्)	₹50 लाख या खुले प्रस्ताव के आकार का 0.5%, जो भी अधिक हो।
जहाँ खुला प्रस्ताव लाना निरर्थक हो, अर्थात् जब कम्पनी असूचीबद्ध हो गयी हो, आदि	इसकी सिफारिश या इसका विनिश्चय प्रत्येक मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों के आधार पर आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा किया जाना है।
जहाँ खुला प्रस्ताव लाना शेयरधारकों के लिए हितप्रद न हो	

सारणी XI - आधार मान

विचाराधीन चूक का स्वरूप		आधार मान
क	अधिग्रहण के लागू होने से पहले, एटिटी लक्षित कानूनी के नियंत्रणाधीन हो	1
ख	अधिग्रहण के लागू होने से पहले, एटिटी लक्षित कानूनी के नियंत्रणाधीन न हो	1.2
ग	अर्थसुलभता-रहित स्ट्रिक	0.3

कारक 'क' और 'ख' परस्पर अलग (अनन्य) हैं ।

अध्याय VII

मध्यवर्तियों, विनियमित एटिटियों द्वारा अन्य चूकों के लिए बेंचमार्क राशि 'बी (आई/आरई)':

मध्यवर्तियों (आई) और अन्य विनियमित एटिटियों (आरई) द्वारा अन्य चूकों के लिए बेंचमार्क राशि, अर्थात् बी (आई/आरई), की गणना इस अध्याय के आधार पर की जा सकेगी। यह अध्याय वहाँ लागू नहीं होगा जहाँ चूक पर विचार अध्याय V के अधीन किया गया है या सीआईएस, परस्परिक निधि, आदि द्वारा किया गया है, आदि जहाँ प्रस्तावित उद्धार प्रत्यर्पण या प्रतिदाय (रिफ़्ट) अथवा स्कीम या निधि का परिसमाप्त हो सकेगा ।

हालाँकि, आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल, गंभीर अतिक्रमणों के मामलों में, प्रतिभूति विधियों के उद्घाटनों के अनुसार, आवेदक की बेंचमार्क राशि ले सकेगा यदि गणना के आधार पर निर्धारित राशि कम पायी जाती है और यह राशि अभिकथित चूक की गंभीरता के अनुरूप नहीं है ।

बी (आई/आरई) = सारणी XII के अनुसार समस्त आधार राशियों का योग + बड़ी चूकों की बाबत अर्जित सकल फीस* का 25%, जहाँ निर्धारण किया जा सकता हो

*सार्वजनिक क्षेत्र के उद्घाटनों की बाबत निम्नतर प्रतिशत लिया जा सकता है ।

सारणी XII- आधार राशि

चूक का स्वरूप	आधार राशि	
	गौण मामले	मुख्य मामले*
आचार-संहिता संबंधी चूकें		

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 15ख, आदि	₹1 लाख प्रति चूक	₹8 लाख प्रति चूक
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 15च एवम् स्टॉक दलाल की ग्राहक सब्सिडी अन्य चूकें, आदि		
विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करने में विलम्ब*		
भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम की धारा 15घ एवम् 15ड - सीआईएस, एएमसी, तथा अन्य निधि क्रियाकलाप सब्सिडी चूकें, आदि, जिनमें आचरण सब्सिडी चूकें भी शामिल हैं	₹2 लाख प्रति चूक या प्रबन्धनाधीन आस्तियों (एयूएम) का 0.001% या शुद्ध-मालियत का 0.1%, जो भी अधिक हो	₹20 लाख प्रति चूक या प्रबन्धनाधीन आस्तियों (एयूएम) का 0.001% या शुद्ध-मालियत का 0.1%, जो भी अधिक हो
अन्य चूकें, जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों में कहीं न दी गयी हों, यदि उचित समझा जाये	₹1 लाख प्रति चूक	₹8 लाख प्रति चूक

*आंतरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल मामले के तथ्यों एवम् परिस्थितियों, शिकायतों की गंभीरता और विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतों को दूर करने में एग्रीटी के पिछले रिकॉर्ड के आधार पर, ₹5 लाख या उससे कम की एकमुश्त आधार राशि निर्धारित कर सकेगा।

*आधार राशि की गणना करते समय बड़े मामलों में अनुचित तरीके से कमाये गये मुनाफे और/या टाली गयी हानि पर भी विचार किया जा सकेगा । प्रतिभूति सविदा (विनियम) अधिनियम, 1956 और उसके अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों के अधीन अतिक्रमणों के मामले में आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों का पैनल उच्चतर आधार राशि की सिफारिश या का विनिश्चय कर सकेगा । इसके अलावा, नामनिर्दिष्ट सदस्य या पूर्णकालिक सदस्य के समक्ष कार्यवाहियों के मामलों में, आधार राशि की गणना करते समय चूक की अवधि के दौरान सकल वार्षिक आय के उचित अंश या गुणज पर भी विचार किया जा सकेगा, जैसी मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करने के पश्चात् आन्तरिक समिति या उच्चाधिकार प्राप्त सलाहकार समिति या पूर्णकालिक सदस्यों के पैनल द्वारा सिफारिश की जाये या विनिश्चय किया जाये ।

स्पष्टीकरण:

- क. सामूहिक निवेश स्कीम (सीआईएस), पारस्परिक निधि, आनुकूलिक विनिधान (निवेश) निधि (एआईएफ), आदि सख्खी चूकों के मामले में, निटारे की रकम सप्रवर्तक या सीआईएमसी से; और आस्ति प्रबख कानियों या पारस्परिक निधि, आदि द्वारा चूकों के मामले में न्यासियों या प्रायोजकों या आस्ति प्रबख कानी (एएमसी) या प्रबखक से वसूली जायेगी, जैसा उचित समझा जाये ।
- ख. यदि सीआईएमसी या आस्ति प्रबख कानी (एएमसी), आदि के विनिधान (निवेश) सख्खी विनिश्चयों से विनिधानकर्ताओ (निवेशकों) को सदोष हानि हुई हो, तो सीआईएमसी या एएमसी, आदि से यह अपेक्षित होगा कि वह, विनिधानकर्ताओ (निवेशकों) को, ऐसी हानि की पूर्ति करे । यदि, यह सभव न हो, तो यह राशि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की विनिधानकर्ता (निवेशक) सख्खण एवं शिक्षण निधि में जमा की जायेगी ।
- ग. आचरण सख्खी चूकों के सख्ख में निटारा तभी किया जा सकेगा यदि आवेदक ने अपना आचरण सुधार लिया हो और विनिधानकर्ता (निवेशक) शिकायतें भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के समाधानप्रद रूप में दूर की जा चुकी हों ।

यू.के. सिन्हा, अध्यक्ष

[विज्ञापन III/4/असा./69 जैड बी/13]

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA**NOTIFICATION**

Mumbai, the 9th January, 2014

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (SETTLEMENT OF ADMINISTRATIVE AND CIVIL PROCEEDINGS) REGULATIONS, 2014

No. LAD-N.R.O./G.N./2013-14/37/50.—In exercise of the powers conferred by section 15JB of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 23JA of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 19-IA of the Depositories Act, 1996 read with section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992, section 31 of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and section 25 of the Depositories Act, 1996, the Securities and Exchange Board of India hereby makes the following regulations to provide for the terms of settlement and the procedure of settlement and matters connected therewith or incidental thereto, namely:—

CHAPTER I**PRELIMINARY****Short title and commencement.**

1. (1) These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014.
- (2) They shall be deemed to have come into force with effect from 20th day of April 2007.

Definitions.

2. (1) In these regulations, unless the context otherwise requires, the terms defined herein shall bear the meanings assigned to them below, and their cognate expressions shall be construed accordingly,—

- (a) "Act" means the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (b) "alleged default" means an alleged or probable non-compliance of any provision of the securities laws;
- (c) "Board" means the Securities and Exchange Board of India established under the provisions of section 3 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992);
- (d) "panel of whole time members" means the panel consisting of two or more Whole Time Members of the Board;
- (e) "securities laws" means the Act, the Securities Contract (Regulations) Act, 1956 (42 of 1956), the Depositories Act, 1996 (22 of 1996), and the rules and regulations made thereunder;
- (f) "specified proceedings" means the proceedings which have been initiated or may be initiated under section 11, section 11B, section 11D, sub-section (3) of section 12 or section 15-I of the Act or section 12A or section 23-I of the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 or section 19 or section 19H of the Depositories Act, 1996, as the case may be;
- (g) "specified" means specified by the Board through circulars or guidelines;
- (h) "Tribunal" means the Securities Appellate Tribunal established under section 15K of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992.

- (2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Act, the Companies Act, 1956, the Securities Contracts (Regulation) Act, 1956 and the Depositories Act, 1996 or any rules or regulations made thereunder shall have the same meanings respectively assigned to them in those Acts, rules or regulations made thereunder or any statutory modification or re-enactment thereto.

CHAPTER II**APPLICATION FOR SETTLEMENT****Application.**

3. (1) A person, against whom any specified proceedings have been initiated or may be initiated, may make an application to the Board in the Form specified in Part-A of the Schedule-I:

Provided that any person who proposes to dispose of any proceedings with regard to defaults under securities laws, pending before the Tribunal or a court, wherein the Board is a party may also file the settlement proposal in the Form as specified in Part-A of the Schedule-I.

(2) The application made under sub-regulation (1) shall be accompanied by a non-refundable application fee as specified in Part-B and the undertakings and waivers as specified in Part-C of the Schedule-I:

Provided that the rejection of the application shall not affect the continued validity of the undertakings and waivers and the Board or the applicant, subject to the undertakings and waivers, shall be free to resort to legal recourse as may be available under law.

(3) The applicant shall make full and true disclosures in the application in respect of the alleged default(s):

Provided that the facts established against the applicant or admitted by him in any ongoing or concluded proceedings with respect to the same cause of action, under any law, shall be deemed to be admitted by the applicant in respect of the proceedings proposed to be settled.

(4) The applicant shall make one application for settlement of all the proceedings that have been initiated or may be initiated in respect of the same cause of action:

Provided that an applicant, who has applied for compounding of an offence before a court for the same cause of action related to the specified proceedings, shall, within thirty days from the date of making the application, make an application under sub-regulation (1) in respect of the specified proceedings.

(5) An application that is not complete in all respects or does not conform to the requirements of these regulations shall be returned.

(6) The applicant whose application has been returned under sub-regulation (5) may, within fifteen days from the date of communication of the rejection, submit the revised application that conforms to the requirements of these regulations:

Provided that no further opportunity shall be given to the applicant to make an application in respect of the alleged default.

(7) Where the applicant is an association or a firm or a body corporate, the application and undertakings and waivers shall be executed by the person in charge of, and responsible for the conduct of the business of such firm or association, or body corporate and the same shall bind the firm or association, the body corporate and any officer who is in default.

Explanation.- For the purpose of this sub-regulation, the expression 'officer who is in default' has the same meaning as provided in sub-section (60) of section 2 of the Companies Act, 2013.

(8) An application for settlement of defaults related to disclosures, shall be made after making the required disclosure.

Limitation.

4. (1) No application in respect of any specified proceedings pending with the Board shall be considered if it is made after sixty days from the date of service of the notice to show cause or supplementary notice(s) to show cause, whichever is served later.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-regulation (1), the panel of whole time members may condone the delay, if it is satisfied that there was sufficient cause for not filing the application within the period specified in sub-regulation (1).

(3) The provisions of this regulation shall not apply in the case of proceedings pending before the Tribunal or any court.

CHAPTER III

SCOPE OF SETTLEMENT

Scope of settlement proceedings.

5. (1) No application for settlement of any specified proceedings shall be considered, if:

- (a) the alleged default was committed within a period of twenty four calendar months from the date of the last settlement order where the applicant was a party;
- (b) an earlier application with regard to the same alleged default had been rejected;
- (c) the applicant has been party to two settlement orders during the period of thirty six calendar months, prior to the date of the application;
- (d) the audit or investigation or inspection, if any, in respect of any alleged default, is not complete.

(2) A specified proceeding, shall not be settled, if it involves any of the following defaults, namely,-

- (a) defaults involving insider trading and communication of unpublished price sensitive information in contravention of the provisions of the Act and the regulations made thereunder;
- (b) fraudulent and unfair trade practices including front running, which in the opinion of the Board are serious and have a market wide impact or have caused substantial losses to or affect the rights of investors in securities, especially retail investors and small shareholders:

Provided that where the applicant has made or intends to make good the losses due to the investors, his application may be considered.

Explanation.- For the purpose of this clause, the expression ' front running' means usage of non-public information to directly or indirectly, buy or sell securities or enter into options or futures contracts, in advance of a substantial order, on an impending transaction, in the same or related securities or futures or options contracts, in anticipation that when the information becomes public; the price of such securities or contracts may change;

- (c) failure to make an open offer in accordance with the provisions of the Act and the regulations made thereunder, except where the applicant agrees to make the open offer or where the Board is of the opinion that the making of the open offer would not be beneficial to the shareholders or is infructuous;
- (d) defaults or manipulative practices by mutual funds, alternative investment funds, collective investment schemes and their sponsors or asset management companies, collective investment management company, managers, trustees that result in substantial losses to investors, except in cases where the applicant has compensated the investors for the losses, to the satisfaction of the Board;
- (e) failure to redress investor grievances to the satisfaction of the Board, except where the alleged default is with regard to delayed redressal;
- (f) failure, by issuers of securities or entities who invite investment, to make material disclosures in offer documents as required under the relevant regulations framed by the Board;
- (g) raising of monies by issuance of securities or pooling of funds, in violation of securities laws where the remedy is refund of such monies;
- (h) non-compliance of notices and summons issued by the Board or summons issued by the adjudicating officer;
- (i) non-compliance of any order or direction passed under the securities laws.

(3) Notwithstanding anything contained in this regulation, where the applicant makes out adequate grounds in his application, the settlement of proceedings in respect of the defaults referred to in sub-regulation (2) may be considered in the interest of the investors and the development and regulation of securities market:

Provided that the reasons for settlement of such proceeding shall be recorded in writing.

(4) Nothing contained in these regulations shall be construed to preclude the panel of whole time members to reject any application in respect of specified proceedings involving the defaults referred to in clauses (a), (g), (h) and (i) of sub-regulation (2) without examination by the internal committee or the high powered advisory committee.

Withdrawal of application.

6. (1) An application may be withdrawn at any time prior to the communication of the decision of the panel of whole time members under regulation 14.

(2) An applicant who withdraws an application under sub-regulation (1) shall not be permitted to make another application in respect of the same default.

Effect of pending application on the specified proceedings.

7. (1) Filing of an application for settlement of any specified proceedings shall not affect continuance of the proceedings except that the passing of the final order shall be in abeyance till the application is disposed of.

(2) Where the application is filed in case of proceedings that may be initiated against the applicant, such proceedings shall not be initiated till the application is rejected or withdrawn.

CHAPTER IV

TERMS OF SETTLEMENT

Settlement terms.

8. (1) The settlement terms may include a settlement amount and/or non-monetary terms, in accordance with the guidelines specified in Schedule-II.

(2) The non-monetary terms may include appropriate directions, such as:

- (a) Voluntary suspension of certificate of registration or closure of business for a specified period;
- (b) Removal from Management;
- (c) Direction in the nature of disgorgement, where it is possible to identify the investors who have incurred losses on account of the action or inaction of the applicant;
- (d) Debarment of certain individuals from acting as a partner or officer or director of an intermediary or as an officer or director of a company that has a class of securities regulated by the Board, for specified periods;
- (e) Cancellation of securities and reduction in share holding where the securities are issued fraudulently including cancellation of bonus shares received on such securities, if any, and re-imbursement of any dividends received, etc;
- (f) Voluntary lock-in of securities;
- (g) Implementation of enhanced policies and procedures to prevent future securities laws violations as well as direction to appoint or retain an independent consultant to review policies and procedures;
- (h) Direction to provide enhanced training and education to employees of intermediaries;
- (i) Directions relating to internal audit and reporting requirements;
- (j) Any other directions that may be issued by the Board under the securities laws in the interest of the investors.

(3) The settlement amount, excluding the legal costs and disgorgement amount, shall be credited to the Consolidated Fund of India.

(4) The legal costs, if any, forming part of the settlement amount shall be credited to the Securities and Exchange Board of India General Fund.

(5) The amount of ill-gotten profits made or losses avoided by the applicant that may be disgorged as part of the settlement terms, shall be credited to the Investor Protection and Education Fund of the Board.

Factors to be considered to arrive at the settlement terms.

9. While arriving at the settlement terms, the Board shall also consider such factors including but not limited to the following:

- (a) conduct of the applicant in the investigation;
- (b) the role played by the applicant in case the alleged default is committed by a group of persons;
- (c) nature, gravity and impact of alleged defaults;
- (d) whether any other proceeding against the applicant for non-compliance of securities laws is pending or concluded;
- (e) whether the alleged default is minor or major in nature;
- (f) the extent of amount of harm and/or loss to investors' and/or gain by the applicant;
- (g) processes which have been introduced since the alleged default to minimize future defaults or lapses;
- (h) compliance schedule proposed by the applicant;
- (i) economic benefits accruing to any person from the non-compliance or delayed compliance;
- (j) conditions which are necessary to deter future non-compliance by the same or another person;
- (k) satisfaction of claim of investors regarding payment of money due to them or delivery of securities to them;
- (l) whether the applicant has undergone any other enforcement action for the same violation;
- (m) any other factors necessary in the facts and circumstances of the case.

CHAPTER V

COMMITTEES

High powered advisory committee.

10. (1) The Board shall constitute a high powered advisory committee for consideration and recommendation of the terms of settlement.

(2) The high powered advisory committee shall consist of a retired Judge of a High Court and three external experts having expertise in securities market or in matters connected therewith or incidental thereto.

(3) The quorum of the high powered advisory committee shall be of three members.

(4) The term of the members of the high powered advisory committee shall be three years which may be extended for a further period of two years.

(5) The high powered advisory committee shall conduct its meetings in the manner specified by the Board in this regard.

Internal committee(s).

11. The internal committee(s) shall comprise of an officer of the Board not below the rank of Chief General Manager and such other officers as may be decided by the Board.

CHAPTER VI

PROCEDURE OF SETTLEMENT

Proceedings before internal committee.

12. (1) Save as otherwise provided in these regulations, an application shall be referred to the internal committee which shall examine whether the proceedings may be settled and if so determine the settlement terms in accordance with these regulations.

(2) The internal committee may:

- (a) call for relevant information, documents, etc., pertaining to the alleged default(s) in the custody of the applicant;
- (b) call for the personal appearance of the applicant before it:
Provided that a duly authorized representative of the applicant may make representation on behalf of the applicant;
- (c) permit the applicant to revise settlement terms within a period not exceeding ten working days from the date of the internal committee meeting.

(3) The proposed settlement terms, if any, shall be placed before the high powered advisory committee.

Proceedings before high powered advisory committee.

13. (1) The high powered advisory committee shall consider the proposed settlement terms, placed before it alongwith the following:

- (a) the application, undertaking and waivers of the applicant;
- (b) factors specified in regulation 9;
- (c) settlement terms or revised settlement terms proposed by the applicant;
- (d) any other relevant material available on record.

(2) The high powered advisory committee may require the applicant to revise the settlement terms and refer the application back to the internal committee.

(3) The recommendations of the high powered advisory committee shall be placed before the panel of whole time members for consideration.

Action on recommendation of high powered advisory committee.

14. (1) A panel of two whole time members shall consider the recommendations of the high powered advisory committee and may accept or reject the same.

(2) Where the panel of whole time members accepts the recommendation of the high powered advisory committee, the applicant shall be communicated about the same within 7 days of the decision of the panel.

(3) Where the panel has accepted the recommendation to pass settlement order, the applicant shall remit the settlement amount, as per the settlement terms and/or undertake in writing to abide by other settlement terms, if any, within the time provided to the applicant.

(4) Where the panel of whole time members does not accept the recommendation of the high powered advisory committee to settle the specified proceedings on the settlement terms recommended by it, the panel may return the application to the internal committee for re-examination of the settlement terms and thereafter the procedure as applicable in the case of an original application shall be followed by the internal committee and the high powered advisory committee.

(5) Where the panel of whole time members disagrees with the recommendation to settle the specified proceedings, such decision shall be communicated to the applicant.

CHAPTER VII

SETTLEMENT ORDERS

Settlement of proceedings before the Adjudicating officer and the Board.

15. (1) The adjudicating officer shall pass the settlement order in the proceeding pending before him with respect to the alleged default(s).

(2) The panel of the whole time members shall pass settlement order with respect to proceedings initiated or proposed to be initiated for alleged default(s) other than the proceedings referred to in sub-regulation (1).

(3) The settlement order passed under these regulations shall, *inter alia*, contain the details of the alleged default(s), relevant provisions of the securities laws, facts and circumstances relevant to the alleged default, the admissions made by the applicant, if any and the settlement terms.

Settlement of the proceedings pending before the Tribunal or any court.

16. (1) Save as otherwise provided in these regulations, the provisions with regard to settlement of specified proceedings shall *mutatis mutandis* apply to an application for settlement of any proceeding pending before the Tribunal or any court.

(2) The proposal of settlement along with the settlement terms or rejection thereof shall be placed before such Tribunal or court for appropriate orders.

Service of settlement order and publication.

17. Settlement orders shall be served on the applicant and shall also be published on the website of the Board.

Effect of settlement order on third party rights.

18. A settlement order under these regulations shall not affect the right of third parties arising out of the alleged default.

Non-compliance of settlement order.

19. If the applicant fails to comply with the settlement order or at any time after the settlement order is passed, it comes to the notice of the Board that the applicant has not made full and true disclosure or has violated the undertakings or waivers, settlement order shall stand revoked and withdrawn and the Board shall restore or initiate the proceedings, with respect to which the settlement order was passed.

Rejection in certain eventualities.

20. (1) The Board may at any time during the course of considering an application, reject an application on the following grounds:

- (a) Where the applicant refuses to receive or respond to the communications sent by the Board;
- (b) Where the applicant does not submit or delays the submission of information, document, etc., required by the Board;
- (c) Where the applicant who is required to appear, but does not appear before the internal committee on more than one occasion;
- (d) Where the applicant violates in any manner the undertaking and waivers as specified in Part-C of the Schedule-I;
- (e) Where the applicant does not remit or delays the payment of settlement amount and/or does not abide by the undertaking and waivers.

(2) The rejection under sub-regulation (1) shall be communicated to the applicant.

CHAPTER VIII

MISCELLANEOUS

Confidentiality of information, etc.

21. (1) All information submitted and discussions held in pursuance of the settlement proceedings under these regulations shall be deemed to have been received or made in a fiduciary capacity and the same may not be released to the public, if the same prejudices the Board and/or the applicant.

(2) Where an application is rejected, the applicant and the Board shall not rely upon or introduce as evidence before any court or Tribunal, any proposals made or information submitted or representation made by the applicant under these regulations:

Provided that this sub-regulation shall not apply where the settlement order is revoked and withdrawn under these regulations.

Power to remove difficulties.

22. In order to remove any difficulty in the interpretation or application of the provisions of these regulations, the Board shall have the power to issue clarifications through circulars or guidelines.

Power to specify procedures.

23. For the purposes of implementation of these regulations the Board may specify norms or procedures, by way of circulars or guidelines.

Rescission and savings.

24. (1) On and from the commencement of these regulations, the following circulars issued by the Board shall stand rescinded:

- (a) Board's circular ref No. EFD/ED/Cir-1/2007 dated April 20, 2007; and
- (b) Board's circular ref No. CIR/EFD/1/2012 dated May 25, 2012.

(2) Notwithstanding any such rescission:

- (a) Applications filed under the circulars referred to in sub-regulation (1) and pending with the Board shall be deemed to have been filed in accordance with these regulations and shall be dealt with in accordance with the provisions of these regulations.
- (b) Settlement orders passed under the circulars referred to in sub-regulation (1) shall be deemed to have been passed under these regulations.
- (c) The proposals of the internal committees and the recommendations of the high powered advisory committee in accordance with the circulars referred to in sub-regulation (1) and any action taken by the Board on the basis of these recommendations shall be deemed to have been made under these regulations.
- (d) The internal committee(s) and the high powered advisory committee constituted by the Board in accordance with the circulars referred to in sub-regulation (1), shall continue to function till such time the Board re-constitutes them.

SCHEDULE-I

(See regulation 3)

Part-A
FORM

Application for settlement

(For Office use only)

Date of receipt of the application:

Application Registration Number:

(Instructions: All the particulars must be filled. Put 'NA' wherever necessary.)

Before the Securities and Exchange Board of India

In the matter of

1. Name/Trade name of the applicant:

- (a) Registration no., if applicable :
- (b) Date of Registration, if applicable :
- (c) PAN number:
- (d) Paid-up capital of applicant:

2. If stock broker, name of the stock exchange:

3. If sub-broker, name of stock broker with whom affiliated and name of the stock exchange:
4. Name of the segment (Cash/derivative etc.):
5. Form of organization: corporate body/ sole proprietorshi/partnership/LLP/financial institution (if listed Co., details of listing) :
6. Names of promoters/directors/proprietors/partners:
7. Key management personnel(s) :
8. Address/correspondence address, contact No. /fax no. and e-mail (any changes in aforesaid details shall be communicated to the Board promptly):
9. Name and contact details (including e-mail) of the contact person (s):
10. Other registration(s) with the Board, if applicable :
 - (a) Trade name :
 - (b) Registration type :
 - (c) Registration No. :
11. Case(s) pending with the Board/SAT/Court (Pl. specify) :
12. Case(s) pending under 11B/Adjudication/Enquiry/others (pl. specify):
13. Stage at which pending:
14. Interim order(s) in the pending proceedings (gist of the orders passed), if any :
15. Other actions pending with/concluded by the Board, if any (with their details) :
 - (a) Against the applicant :
 - (b) Against its associates :
 - (c) Against its key management personnel(s) :
 - (d) Against its other promoters/directors:
 - (e) Other details, if any:
16. Date of show cause notice/summons/communication indicating probable cause of action, if any, against which the settlement is sought (PLEASE ENCLOSE COPIES)*:
17. Full and true disclosure of facts (including the profit made, loss avoided, gross fees, brokerage commissions, etc., in respect of the cause of action):
18. Specific charges alleged:
19. Terms of settlement proposed by the Applicant: —
 - (a) Monetary terms:—
 - (b) Non-monetary terms: —
20. Original documents to be enclosed:
 - (a) Undertakings and waivers (as per Format specified in Part C).
 - (b) Authority letter/Board resolution.
21. List of other enclosures:
 - (a) A copy of the notice to show cause/summons/communication/other notices indicating the probable cause of action, if any, against which the settlement is sought;
 - (b) Complete Annual Reports / other relevant financial details for the last three financial years and the quarterly audited financial results of the current year;
 - (c) A statement showing net worth of the applicant (only for those applicants who are required to comply with the networth requirements as specified by the Board or by the stock exchanges), gross annual income before tax, the amount of gross profit made/loss avoided, including the gross brokerage, fees, management/performance/transaction fee, carried interest, compensation, etc., in respect of the said default;
 - (d) Copy of PAN card;

- (e) Complete Income-tax Returns of the applicant for the last three financial years;
- (f) Any other relevant document(s)/submissions.

(Signature of the applicant)

(Stamp and Seal)

Verification

I,son/daughter/wife of (Name in block letters)

Shribeing the applicant/authorised representative (in case of corporate entity) of do hereby verify and affirm on oath that this application and the contents thereof are true to my knowledge and belief and as per the records and that I have not suppressed any material facts.

(Signature of the applicant)

Date:

Place :

Part-B

Every applicant shall pay fees of five thousand rupees by a demand draft in favour of 'Securities and Exchange Board of India' payable at Mumbai.

Part-C

Undertakings and Waivers

Format

Undertaking to be submitted along with the application with stamp duty duly paid and duly notarized at the time of execution.

I/We,, the applicant(s) herein, as a condition for making the enclosed application to the Board for examining of the application and passing of appropriate settlement order, hereby declare that I/we agree and undertake that:

- (1) I/We admit the jurisdiction and right of the Securities and Exchange Board of India to initiate appropriate proceedings in respect of the alleged default.
- (2) I/We further agree and undertake that the time spent during the settlement proceedings shall be excluded for computing the limitation period, if any, for initiating or continuing or restoring any legal proceedings, if any, against me/us, and waive any objections in this regard.
- (3) The Securities and Exchange Board of India may enforce any claims against me/us arising from or/in relation to any violation of the settlement order passed pursuant to this application.
- (4) Nothing in the settlement order shall preclude any other person from pursuing any other legal remedy to which such person may be entitled against me/us as per law.
- (5) The settlement proposed by me/us does not limit or create any private rights or remedies for any person who is not a party to these proceedings, against me/us.
- (6) The settlement amount including legal costs, if any, shall be paid by me/us to the Board within the period stipulated by the Board.
- (7) The settlement order shall be construed and enforced in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014.
- (8) I/We agree that subsequent to the passing of the settlement order, I/We shall not take any action or make or permit to be made any public statement denying, directly or indirectly, any finding in the settlement order or creating impression that the settlement order is without factual basis.

- (9) I/We hereby declare that nothing in the waiver and undertaking given by me/us shall affect my/our (i) testimonial obligations or (ii) right to take legal or factual positions in defence of litigation or in defence of a claim or in any other legal proceeding in which the Board is not a party.
- (10) I/We 'admit the findings of fact and conclusions of law' or 'neither admit nor deny the findings of fact and conclusions of law' (strike off whichever is not applicable) which may be part of the settlement order, and agree to abide by the settlement order as may be passed for the purpose of settlement of the specified proceedings in accordance with the Securities and Exchange Board of India (Settlement of Administrative and Civil Proceedings) Regulations, 2014 and guidelines and circulars issued by the Board in that regard.
- (11) I/We waive my/our right of taking any legal proceedings against the Securities and Exchange Board of India concerning any of the issue covered in the settlement order that may be passed.
- (12) I/We further waive the following:
- the findings of fact and conclusions of law;
 - the proceedings before the Board or any officer of the Board;
 - the right to all post-hearing procedures;
 - appeal/review before the Tribunal/courts;
 - any plea relating to such provisions of the regulations or other requirements of law as may be construed to prevent any officer of the Securities and Exchange Board of India from participating in the any proceedings, including settlement proceedings or assisting or advising the internal committee, high powered advisory committee or panel of whole time members, as to, any order, opinion, finding of fact, or conclusion of law, etc;
 - any plea of bias or pre-judgment by the Securities and Exchange Board of India or the high powered advisory committee, based on the consideration of or discussions concerning settlement of all or any part of the internal proceedings;
 - any plea of limitation for initiating or reopening of the proceedings, if the applicant violates the settlement order.

(Signature of the applicant with stamp and seal of the body corporate)

Before me.

Notary.

SCHEDULE-II

(See regulation 8)

GUIDELINES FOR ARRIVING AT SETTLEMENT TERMS

CHAPTER I

- The settlement amount (SA) *shall* comprise of the Indicative Amount (IA) arrived at in terms of these guidelines and the factors provided in regulation 9, wherever applicable.
- Except for persons treated as name lenders, the IA shall not be less than ` 2 lakh for first time applicants or ` 5 lakh for others, as the case may be.

Explanation.- A 'first time applicant' is a person who has never obtained a settlement order from the Board as on the date of the present application.
- Based on the stage at which the proceeding(s), for which the application is made, is/are pending, the proceeding conversion factor (PCF) shall be applied when calculating the IA.
- In cases, where an existing business or activity of a person is either corporatized or converted into an LLP or partnership or merged or taken over by a new management, the existing record of the erstwhile entity shall be deemed to be the record of the new entity. Considerations such as change of name or management or ownership shall be irrelevant when determining the liability of the said entity.
- Where an entity desires to obtain the benefit of a lower PCF, in relation to any alleged default it may, *suo motu*, before the receipt of any notice to show cause, intimate the Board of such default hereinafter referred to as 'intimation defaults' and co-operate with SEBI in the investigation, inquiry, inspection or audit. It may thereafter file a settlement application, upon completion of the investigation, inspection, etc. The application shall be deemed to have been made 'Pre- issue of notice to show cause' for the purpose of calculating the PCF.

6. The IA is to be calculated for each applicant. In a case where multiple applicants make a combined application for a default arising from the same cause of action, the IA will be calculated for each applicant, as per the applicable formula except in cases related to defaults under the Takeover Regulations where the acquirer and persons acting in concert (PAC) may be considered to have joint liability.
7. While considering the application, the alleged default(s) detailed in the Inspection Report or the Investigation Report or the Report of the Designated Authority (DA) or the notice to show cause, including any supplementary notice to show cause issued by any authority in a pending proceeding, or the facts/findings detailed in the order of the Designated Member (DM) or the Whole Time Member (WTM) or the Adjudicating Officer (AO) or the Securities Appellate Tribunal (SAT), as applicable, may be the basis for calculating the IA.

In case, the Internal Committee (IC) or the High Powered Advisory Committee (HPAC) or the Panel of Whole Time Members (WTMs) are of the view that the facts disclose a different default, the same may be taken into account.

8. The alleged defaults shall, wherever applicable, be categorised based on the facts and circumstances as major, minor, serious or miscellaneous, etc., by the IC or HPAC or the Panel of WTMs.
9. Notwithstanding anything contained in these guidelines, the IC or HPAC or Panel of WTMs shall have the discretion to recommend acceptance or rejection or accept or reject an application, to recommend a amount, lower or higher than the amounts arrived at in terms of these guidelines, in accordance with the provisions of securities laws, considering the facts and circumstances of the case and the gravity of the charges.
10. In cases where the formulae for calculating the IA are inapplicable or cannot be adapted due to the nature of the default or the facts and circumstances of the case or where the defaults detailed in the Tables in these guidelines are not covered, the IC or HPAC or Panel of WTMs may arrive at the SA, as they deem fit.
11. In case of an amendment(s) or repeal of the securities laws, these guidelines shall continue to apply to similar provisions under the amended or new laws, *mutatis mutandis*.

CHAPTER II

INDICATIVE AMOUNT AND THE SETTLEMENT AMOUNT

Indicative amount (IA) shall be calculated as follows:

$$\text{IA} = \text{A} \times \text{B} + \text{Legal Costs}^{\#}$$

#Legal costs as incurred by the Board shall be applicable to a application made at the stages mentioned in points “d” and “e” as provided in Table I.

$$\text{'A'} = \text{PCF} + \text{RAF}$$

A : Multiplying Factor

PCF : Proceeding Conversion Factor

RAF : Regulatory Action Factor

Where

‘PCF’- The value assigned on the basis of the stage of the proceedings, as on the date of the application; and

‘RAF’- Values for prior orders and regulatory directions issued to the applicant.

‘B’ - Benchmark Amount, is the amount which is attributable to the alleged default for which a proceeding under securities laws may be or has been initiated by the Board; it is determined separately for each category of default and in case of multiple defaults, the total sum thereof, determined in terms of these guidelines;

1. In case, more than one proceeding arising from the same cause of action has been initiated against the applicant, the IA shall be increased by 15%.

Provided that where the AO has already awarded penalty to the applicant, then 'B' shall be equal to the amount calculated by these guidelines *or* the penalty awarded by the AO; whichever is higher. In cases where the WTM or DM has issued directions debarring or suspending the applicant, the **RAF** shall take into account the value of **Y** as per Table III.

2. The amount which is finally recommended by the HPAC after taking into account the IA, any mitigating or aggravating factors etc; and approved by the Panel of Whole Time Members is the **SA**.
3. After payment of the SA, the settlement order along with other directives, if any, shall be passed accordingly.

CHAPTER III

PROCEEDING CONVERSION FACTOR

The values assigned on the basis of the stage of the proceedings, as on the date of the application, shall be the PCF as per Table I

TABLE I-PCF

STAGE OF THE PROCEEDING(S) WHEN THE APPLICATION IS MADE		VALUE OF PCF
a.	Pre- issue of the notice to show cause (including intimation matters)	0.75
b.	Post-issue of the first notice to show cause pertaining to any pending proceeding in the same cause of action	0.85
c.	Proceeding pending after the submission of the report by the DA	0.9
d.	Proceedings pending after passing of the order by the AO or DM or WTM, as the case may be	1.10
e.	Proceedings pending after the passing of the order by the SAT or High Court	1.20

Provided that where multiple proceedings arising out of the same cause of action are sought to be settled, the value of the proceeding which is at the most advanced stage, irrespective of the stage of progress of the other proceedings, shall be taken as the PCF.

CHAPTER IV

VALUE FOR ALL ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS

The sum of all the values assigned to the orders and regulatory direction(s) issued in the past, if any, shall be 'RAF'.

$$\text{'RAF'} = X + Y$$

TABLE II -VALUE FOR ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED X*

* To also include those orders and directions which have been stayed by the SAT or Court, as on the date of the application. In case multiple proceedings have been initiated for the same cause of action, the value shall be added for each order passed.

ORDERS AND REGULATORY DIRECTIONS ISSUED TO THE APPLICANT	X PER ORDER
Exonerated cases i.e. cases where applicant was exonerated in an order or appeal or review	0
Settlement Order	0.01
ALL OTHER ORDERS (EXCEPT FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED)	
Cease and desist order	0.02
Order of AO or WTM issued against other market participants	0.05
Order of AO, DM or WTM issued against intermediaries or listed companies	0.075

TABLE III- VALUE FOR ORDER OR DIRECTION PASSED OR ISSUED FOR WHICH THE APPLICATION IS FILED - Y

PROCEEDING BEFORE DM	PROCEEDING BEFORE WTM	‘Y’ PER ORDER
Warning issued		0.05
Suspension upto 1 week	Debarment upto 6 calendar months	0.1
Suspension for 1 week or more, but less than 1 month	Debarment for 6 calendar months or more, but less than 1 year	0.15
Suspension for 1 month or more but less than 3 months	Debarment for 1 year or more but less than 2 years	0.2
Suspension for 3 months or more but less than 1 year	Debarment for 2 years or more but less than 3 years	0.25
Suspension for or more than 1 year	Debarment for 3 years or more but less than 5 years	0.3

CHAPTER V**BENCHMARK AMOUNT FOR FUTP DEFAULTS**

The Benchmark Amount for defaults related to FUTP i.e. B (FUTP), may be computed as detailed in this Chapter.

However, the IC or HPAC or Panel of WTM's may, in cases of serious FUTP default, take the Benchmark Amount of the applicant as per the provisions of the securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.

Notwithstanding the above, SEBI shall not settle serious fraudulent and unfair trade practices which, in its opinion, cause substantial losses to investors especially retail investors and small shareholders or have or may have market wide impact, except those defaults where the applicant has made or intends to make good the losses due to the investors to the satisfaction of SEBI.

$$\mathbf{B(FUTP) = SUM\ OF\ BASE\ VALUES\ AS\ PER\ TABLE\ IV \times APPLICABLE\ AMOUNT}$$

TABLE IV - BASE VALUES

NATURE OF DEFAULT		BASE VALUE
a.	FUTP or violation of code of conduct noted in an investigation related to FUTP	1.35
	Or FUTP in combination with the violation of code of conduct or any other regulation under SEBI (PIT) Regulations or SEBI (SAST) Regulations	1.37
	Or FUTP in combination with a violation of <i>SEBI Master Circular on AML, etc.</i>	1.4
b.	Factors for volume traded and/or price change for the default	Sum of 'V', 'P' and 'Q', wherever applicable, to be applied only if the volume traded or price change, quantity traded in respect of the group, of which the applicant is a part of or of the applicant when he acts alone, as the case may be, can be calculated from findings brought out in the investigation report or notice to show cause or order, as the case may be. In case multiple trading periods are involved the highest change has to be considered.
c.	Time value of ill-gotten gains*	$0.09 \times \text{No. of calendar years from the date of commission of the default}$
d.	Reputation risk applicable in all cases	All applicants - 0.25

*Factor 'c' is applicable only in cases where the actual profit and/or loss avoided (approx) is determinable. While calculating the period, the fractions may be ignored.

'V' = VALUE FOR THE HIGHEST % OF VOLUME TRADED IN ANY TRADING PERIOD DURING THE ENTIRE PERIOD OF DEFAULT

In case of more than one scrip, the scrip with the highest volume traded is to be considered

% VOLUME TRADED (ILLIQUID SCRIP)	'V'	% VOLUME TRADED (LIQUID SCRIP)
Upto 50%	0.05	Upto 2%
50 -60%	0.07	2-5%
60-75% [#]	0.1	5-10% [#]
75% or more [#]	0.15	10% or more [#]

[#]Where the volume traded, during any trading period falls within this class, the IC or HPACor Panel of WTM's shall consider whether the default may be settled.

‘P’ = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE IN ANY TRADING PERIOD DURING THE ENTIRE PERIOD OF DEFAULT

In case of more than one scrip, the scrip with the highest price change is to be considered

% PRICE CHANGE (ILLIQUID SCRIP)	‘P’	% PRICE CHANGE (LIQUID SCRIP)
Upto 50 %	0.05	Upto 5 %
50-100 %[#]	0.07	5-10 %[#]
100-200 %[#]	0.1	10-20 %[#]
200 % or more[#]	0.15	20 % or more[#]

#Where the price change during any trading period falls within this class, the IC or HPAC or Panel of WTM’s shall consider whether the default may be settled.

‘Q’ = VALUE FOR HIGHEST % OF PRICE CHANGE IN ANY TRADING PERIOD, DURING THE PERIOD OF DEFAULT FOR F&O AND LEVERAGED PRODUCTS

In case of more than one product, the contract with the highest price change is to be considered

% PRICE CHANGE	‘Q’
Upto 0.5 %	0.05
0.5-1 %	0.07
1-5 %[#]	0.1
5 % or more[#]	0.15

#Where the price change during any trading period falls within this class, the IC or HPAC or Panel of WTM’s shall consider whether the default may be settled.

II - APPLICABLE AMOUNT

THE APPLICABLE AMOUNT FOR AN APPLICANT = The profit made and/or loss avoided* of each applicant

Or

**The Base Amount as per Table V,
whichever is higher.**

***IN CHAPTER V TO VII, PROFIT MADE AND/OR LOSS AVOIDED, MAY BE CALCULATED AFTER TAKING INTO ACCOUNT THE FOLLOWING:**

1. In cases, where the profit made and losses avoided both co-exist, the sum thereof shall be taken into consideration for arriving at the total ill-gotten profit made by the applicant.
2. In cases of issue of fraudulent securities, fraudulent purchase of securities, including where funding is through circuitous route, etc., the profit made and/or loss avoided, shall be calculated after taking into account the market value of the securities on the date of purchase, allotment, issue, etc., whichever is relevant, in addition to the profit earned from subsequent sale thereof, if any.

3. In cases involving the siphoning of funds or cornering of securities in an issue, the applicant's profit made and/or loss avoided shall take into account the net proceeds or the value of the securities or the share thereof received by the applicant.
4. In cases involving an intermediary, the profit made and/or loss avoided shall take into account the *gross* fees earned by the applicant in respect of the default, by whatever name called and any proprietary trades, if any.
5. In cases where the purpose of the FUTP is to maintain the price, the profit made and/or loss avoided shall take into account any means by which the applicant has benefited including the value of any pledge, margin requirements, loans against securities, hedge, options, hybrids, futures, issue of securities, etc., in the scrip in which the applicant was interested.
6. In cases where trades have been executed after the dissemination of false information, the profit and/or loss avoided shall take into consideration the difference between the purchase or sale price of the security and the value of that security as measured by the trading price of the security after a reasonable period from public dissemination of the true information.

TABLE V- BASE AMOUNT**AND**

PARAMETERS (WHEREVER APPLICABLE) RELATING TO FUTP INCLUDING AIDING AND ABETTING FUTP OR CODE OF CONDUCT NOTED IN AN INVESTIGATION RELATED TO FUTP

In case more than one parameter is applicable, the highest Base Amount, as may be appropriate in the facts and circumstances of the case, may be considered.

CATEGORY OF APPLICANT		BASE AMOUNT AND PARAMETER *
a.	Intermediaries	<p>(i) Where the entity is charged for FUTP or aiding and abetting FUTP ₹ 15 lakh Or 1.5% of the value of the gross fraudulent trades executed through the intermediary including proprietary trades, whichever is higher</p> <p>(ii) Where the intermediary is charged for violation of code of conduct ₹ 8 lakh Or 0.75% of the value of the gross fraudulent trades executed through the intermediary, whichever is higher</p> <p>(iii) In cases of proceedings before the DM or the WTM, the Base Amount may also be computed by taking into account a suitable fraction or multiple of the gross annual income during the period of default, as may be recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTM's, after taking into account the facts and circumstances of the case.</p>

b.	<p>Applicant charged for financing the FUTP activities (Listed companies not engaged in lending business, but charged with financing its Issue fall under point 'd')</p>	<p>₹ 15 lakh Or 15% per annum × into funds provided × period for which the funds was provided, whichever is higher</p>
c.	<p>Promoters</p> <p>Whole Time Directors or Chairman</p> <p>Other directors or Key Managerial Personnel (KMP)</p>	<p>₹ 1 crore Or 0.5% of the (highest) market value of its/his holdings in the company (including any convertible warrant or options) whichever is higher</p> <p>₹ 25 lakh Or 0.5 % of the (highest) market value of its/his holdings in the company (including any convertible warrants or options) whichever is higher; ₹ 10 lakh</p> <p>Note:</p> <p>I. In case of pre-IPO related matters, the market value will be computed on the basis of the listing price.</p> <p>II. In the case of already listed companies, the value of holdings during the period of default shall be taken.</p>
d.	<p>Listed companies (to be borne by the promoter group or directors or KMPs or the company or both, as the case may be)</p> <p>(In case where the charge against a company is of funding its own issue or any other FUTP charge and the promoters or directors are also charged for the same default as the company, then only point 'd' applies. In other cases, the higher of point 'c' or 'd' shall be borne by the promoters or directors, as the case may be)</p>	<p>₹ 10 lakh Or 0.1 % of its (highest) entire market cap during the period of the default. whichever is higher</p> <p>Note:</p> <p>I. In case of pre-IPO related matters, the market value will be computed on the basis of the listing price.</p> <p>II. In the case of already listed companies, the value of holdings during the period of default shall be taken.</p>
e.	Name-lender clients or front-entities or dummy entities	To be determined for each applicant as recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis of the facts and circumstances of each case
f.	Key-operators	To be determined for each applicant as recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis of the facts and circumstances of each case.

		Notwithstanding the above, in case of the key operator transferring the bulk or the whole of his share of proceeds or securities cornered, to another, the base amount may also be added by a suitable fraction taking into account a suitable fraction or multiple of the gross amount or transfers made, as may be recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTM's after taking into account the facts and circumstances of the case.
g.	FII Proprietary sub-account	₹ 35 lakh Or 0.005 % of the total assets under custody (AUC), whichever is higher
	Non- proprietary sub-accounts	₹ 20 lakh Or 0.005 % of the total AUC, whichever is higher
h.	Book running lead manager or lead manager and other intermediaries associated with an issue or takeover	1 % of the issue or takeover size (or the estimated issue size) handled by the Book running lead manager or lead manager and 0.25 % for other intermediaries
i.	AMC, trustee, sponsor, etc. (In case of mutual fund, etc., to be borne by the AMC, CIMC, manager, etc., and not to be passed on to the schemes)	₹ 25 lakh Or 0.001 % of the total assets under management (AUM) Or 0.1 % of the net worth; whichever is higher
j.	Where none of the above are applicable to the applicant	To be determined for each applicant as recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTMs on the basis of the facts and circumstances of each case

* To be calculated per scrip or product manipulated. In case the scrip is part of any index maintained by BSE Ltd or National Stock Exchange of India Ltd, the Base Amount shall be increased by 15%.

In these guidelines the following persons shall be treated as ‘name-lender’:

An applicant who allows his name to be used or whose name is used for opening a demat account or client account by another, who operates the same as his own account. It includes an account-lender whose demat account or client account is allowed to be used or used for market transactions by anyone other than himself, for the purpose of any activity by such other, including manipulation or other fraudulent activities.

A key operator referred to in these guidelines, includes the main manipulator and any other applicant who in the opinion of the IC or HPAC or Panel of WTM’s may be so categorised.

Chapter VI

BENCHMARK AMOUNT IN DISCLOSURE RELATED DEFAULTS UNDER SEBI (SAST) REGULATIONS , SEBI (PIT) REGULATIONS

AND OTHER DISCLOSURES AND REPORTING REQUIREMENTS, etc.

The Benchmark Amount for disclosure defaults i.e. B (D) may be computed on the basis of this Chapter. This chapter does not deal with those disclosure defaults which amount to FUTP.

However the IC or HPAC or Panel of WTM’s, may, in cases of serious disclosure defaults take the Benchmark Amount of the applicant as per the provisions of securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default or the ill-gotten profit and/or loss avoided by the applicant.

$$\mathbf{B(D) = \text{BASE VALUE AS PER TABLE IX} \times \text{SUM OF BASE AMOUNTS AS PER TABLE VI OR VII}}$$

TABLE VI- BASE AMOUNT - DISCLOSURES UNDER SEBI (SAST) REGULATIONS

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING RIGHTS ACQUIRED OR DISPOSED BUT NOT DISCLOSED OR PERCENTAGE OF ENCUMBERED SHARES BUT NOT DISCLOSED, etc.	BASE AMOUNT FOR VIOLATION OF		
	REGULATION 7 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 1997 OR REGULATION 29 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011	REGULATION 8 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 1997* OR REGULATION 30 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011*	REGULATION 8A OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 1997 OR REGULATION 31 OF SEBI (SAST) REGULATIONS, 2011
Upto 2 %	₹ 1 lakh + ₹5,000/- For every three months delay [#] or part thereof		
2 % to less than 5 %	₹ 2 lakh + ₹ 10,000/- For every three months delay or part thereof		
5 % to less than 10 %	₹ 5 lakh + ₹ 15,000/- For every three months delay or part thereof		

10 % to less than 15 %	₹ 10 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + ₹ 20,000/- For every three months delay or part thereof
15% and above	₹ 15 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + ₹ 25,000/- For every three months delay or part thereof

* The Base Amount shall only be as per the lowest slab, irrespective of change in shareholding over the reporting period. In case of defaults related to disclosures that are required to be made annually, and application is filed for settlement of such defaults, the amount for delay for every three months or part thereof shall be computed only for the first non-disclosure. In case the applicant complies with the annual reporting requirements for a few years, such compliance will not result in a higher base amount than would have otherwise be calculated for continuous defaults.

#The period of delay is to be calculated from the last day, when the disclosure ought to have been made, as required by the regulations.

In case a correct disclosure is made on time but filed in the wrong format, the Base Amount shall be reduced by 75%.

**TABLE VII- BASE AMOUNT - TRANSACTION SPECIFIC DISCLOSURES UNDER
REGULATIONS 13(3), 13(4), 13(4A) AND CORRESPONDING 13 (6) OF SEBI (PIT) REGULATIONS 1992,**

PERCENTAGE OF SHAREHOLDING OR VOTING ACQUIRED BUT NOT DISCLOSED, etc.	BASE AMOUNT*
Upto 2%	₹ 1.5 lakh + ₹ 7,500/- For every three months delay or part thereof
2% to less than 5%	₹ 2.5 lakh + ₹ 12,500/- For every three months delay or part thereof
5% to less than 10%	₹ 6 lakh + ₹ 17,500/- For every three months delay or part thereof
10 % to less than 15%	₹ 12 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc. + ₹ 22,500/- For every three months delay or part thereof

15% and above	<p>₹ 20 lakh + 0.1 % of the value of the holding not disclosed, etc.</p> <p>+</p> <p>₹ 25,000/- For every three months delay or part thereof</p>
---------------	--

*In cases of disclosures not made by the connected persons and by the KMPs, the Base Amount may be increased by 25%.

In case the applicant is charged for non-disclosure of both SEBI (SAST) Regulations and SEBI (PIT) Regulations, the Base Amount arrived at for any one of the Regulations shall be reduced by 75%.

OTHER DISCLOSURES AND REPORTING REQUIREMENTS

B(D) = BASE VALUE AS PER TABLE IX X SUM OF BASE AMOUNTS AS PER TABLE VIII

TABLE VIII- BASE AMOUNT

<u>NATURE OF DEFAULT</u>	<u>BASE AMOUNT</u>
TYPE OF NON-DISCLOSURE	
<u>SEBI (PIT) Regulations</u>	
Periodical and other disclosures	<p>₹ 3 lakh</p> <p>+</p> <p>₹ 5,000/- for every three months delay or part thereof</p>
<u>SEBI (SAST) Regulations</u>	
<p>Reporting requirements or disclosures for which exemptions are available, except cases of non-compliance of a condition precedent for availing exemption would result in the triggering of an open offer obligation</p> <p>(In respect of Regulation 6 of SEBI (SAST) Regulations, 1997 the provisions are dated and no amount may be recommended, except in case of standalone violations of Regulation 6 of SEBI (SAST) Regulations, 1997 the minimum amount of ₹ 2 lacs may be applicable)</p>	<p>₹ 2 lakh</p> <p>+</p> <p>₹ 10,000/- for every three months delay or part thereof</p>

<p align="center"><u>SEBI (FII) Regulations</u></p> <p align="center">Failure to provide information</p> <p align="center">Intimation of material changes</p>	<p align="center">₹ 20 lakh per default</p> <p align="center">₹ 5 lakh per default</p>
<p align="center"><u>Others</u></p> <p align="center">Code of conduct reporting requirements</p> <p align="center">or</p> <p align="center">Disclosures on appointment of director</p> <p align="center">or</p> <p align="center">Any other disclosure related defaults that are not detailed in these guidelines, if deemed appropriate</p>	<p align="center">₹ 2 lakh</p> <p align="center">+</p> <p align="center">₹ 10,000/- for every three months delay or part thereof</p>

TABLE IX - BASE VALUE

NATURE OF DEFAULT	BASE VALUE
a) Per se SAST or PIT or ICDR regulation, etc. violation, not falling in any of the below mentioned categories	1
b) Non-disclosure charge in combination with any other charge	1.1
c) Charge of non-disclosure, although timely related disclosure made under any other Regulation(s)	0.6
d) Charge of non-disclosure, although timely related disclosure made under any other regulation of SEBI (SAST) Regulations or listing agreement, etc.	0.55
e) Companies with paid-up share capital below ₹ 10 crore (not applicable to companies which are exclusively holding companies)	0.5

All factors 'a' to 'e' in Table IX are mutually exclusive. In case of applicability of more than one factor, the lowest factor is to be considered.

OPEN OFFER DEFAULTS INCLUDING INDIRECT ACQUISITION

(CONSENTABLE CASES ONLY)

The Benchmark amount for open offer defaults ie. B (OO) may be computed on the basis provided below.

However the IC or HPAC or Panel of WTM's, may, in cases of serious open offer default, take the Benchmark Amount of the applicant as per the provisions of securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.

The non-compliance of a condition precedent for availing exemption would result in the triggering of an open offer obligation and would be considered as per under Table X and XI.

$$B(OO) = \text{SUM OF BASE VALUES AS PER TABLE XI} \times \text{BASE AMOUNT AS PER TABLE X}$$

TABLE X—BASE AMOUNT

NATURE OF DEFAULT	BASE AMOUNT FOR ACQUIRER AND PACS
Delayed open offer	₹ 25 lakh or 0.25% of the open offer size, i.e. max number of shares for which open offer must be given x applicable open offer price, which ever is higher
Cases of open offer defaults referred for adjudication	
Delayed open offer (after direction from the Board)	₹ 50 lakh or 0.5% of the open offer size, whichever is higher.
Where the making of the open offer is infructuous i.e. when company has been delisted, etc.	To be recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTM's on the basis of the facts and circumstances of each case
Where the open offer is not beneficial to the shareholders	

TABLE XI—BASE VALUES

NATURE OF DEFAULT UNDER CONSIDERATION		BASE VALUE
a	Entity in control of the target company, prior to triggering the takeover	1
b	Entity not in control of target company, prior to triggering the takeover	1.2
c	Illiquid Scrip	0.3

Factors 'a' and 'b' are mutually exclusive.

Chapter VII

BENCHMARK AMOUNT FOR OTHER DEFAULTS BY INTERMEDIARIES, REGULATED ENTITIES, 'B (I/RE)':

The Benchmark Amount for other defaults by intermediaries (I) and other regulated entities (RE) i.e. B(I/RE) may be computed on the basis of this Chapter. This Chapter is not applicable where default is dealt with under Chapter V or is by a CIS, mutual fund, etc., where the proposed remedy may be disgorgement or refund or winding up of the scheme or fund.

However the IC or HPAC or Panel of WTM's may in cases of serious violations take the Benchmark Amount of the applicant as per the provisions securities laws if the amounts arrived at on the basis of the calculations are found to be low and not commensurate to the seriousness of the alleged default.

$$B(I/RE) = \text{SUM OF ALL BASE AMOUNTS AS PER TABLE XII} + 25 \% \text{ OF THE GROSS FEE EARNED* IN RESPECT OF THE MAJOR DEFAULTS, WHERE DETERMINABLE}$$

*A lower percentage may be taken in respect of Public Sector Undertakings.

TABLE XII- BASE AMOUNT

NATURE OF DEFAULT	BASE AMOUNT	
	MINOR CASES	MAJOR CASES [#]
Code of conduct related defaults	₹ 1 lakh per default	₹ 8 lakh per default
Section 15B of SEBI Act , etc.		
Section 15F of SEBI Act & other stock-broker defaults vis-à-vis clients, etc.		
Delay in redressing investor grievances*		
Section 15D & 15E of SEBI Act- CIS, AMC, and other fund activity related defaults, etc., including conduct related defaults	₹ 2 lakh per default or 0.001% of the AUM or 0.1% of the net worth whichever is higher	₹ 20 lakh per default or 0.001% of the AUM or 0.1% of the net worth whichever is higher
Other defaults not provided elsewhere in these guidelines, if deemed appropriate	₹ 1 lakh per default	₹ 8 lakh per default

* The IC or HPAC or Panel of WTMs may based on the facts and circumstance of the case, gravity of the grievances and the past track record of the entity in redressing investor grievances, arrive at a lump sum Base Amount of ₹ 5 lakh or a lesser amount.

The Base amount may also take into account any ill-gotten profit and/or loss avoided in major cases. In case of violations under Securities Contract (Regulations) Act, 1956 and the rules, regulations made thereunder the IC or HPAC or Panel of WTMs may recommend or decide a higher base amount. Further, in case of proceedings before DM or WTM, the Base Amount may also be computed by taking into account a suitable fraction or multiple of the gross annual income during the period of default, as may be recommended or decided by the IC or HPAC or Panel of WTM's, after taking into account the facts and circumstances of the case.

CLARIFICATIONS:

- a. In case of CIS, mutual fund, AIF, etc., related defaults, the settlement amount shall be recovered from the promoter or CIMC; and from trustees or sponsors or AMC or manager in case of defaults by AMCs or Mutual Fund, etc., as may be deemed appropriate.
- b. In case the CIMC or AMC, etc., investment decisions have caused wrongful loss to the investors, the CIMC or AMC, etc., shall be required to make good such loss, to the investors. In case, the same is not possible, the amount shall be deposited in the Investor Protection and Education Fund of SEBI.
- c. Conduct related defaults may be settled only if the applicant has rectified its conduct and the investor grievances have been redressed to the satisfaction of SEBI.

U. K. SINHA, CHAIRMAN

[ADVT. III/4/Exty. /69 ZB/13]